



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

बजट 2005 - 2006

श्रीमती वसुन्धरा राजे
मुख्यमंत्री
का
बजट भाषण

24 मार्च 2005

फाल्गुन शु. १४, विक्रम संवत् २०६१

माननीय अध्यक्ष महोदया,

आपकी अनुमति से मैं वर्ष 2004-05 के संशोधित अनुमान तथा वर्ष 2005-06 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रही हूँ।

2. इस वर्ष देश के एक भाग में प्राकृतिक आपदा के रूप में सुनामी लहरों का कहर टूटा। इस आपदा से जहाँ समुद्री तटीय क्षेत्रों में अपार क्षति हुई वहीं हजारों की संख्या में लोगों की जानें गईं। हमारे राज्य के प्रत्येक वर्ग ने एकजुटता का परिचय देते हुए प्रभावित व्यक्तियों को हर संभव सहायता देने में अपना योगदान दिया। इस त्रासदी से हुई जन व धन की हानि के लिए सदन के माध्यम से मैं अपनी संवेदना प्रकट करती हूँ।

3. हमारे राज्य में गत खरीफ फसल के समय वर्षा का अभाव रहा जिसके परिणामस्वरूप 25 जिलों के 50 प्रतिशत से अधिक खराबा वाले 18 हजार 613 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया। राज्य सरकार द्वारा इन अभावग्रस्त गांवों में आवश्यकतानुसार राहत कार्य चलाये गये। इन कार्यों पर फरवरी 2005 तक लगभग 2 करोड़ 50 लाख मानव दिवसों के रोजगार का सृजन किया गया है। इसके अतिरिक्त माह नवंबर 2004 से 10 जिलों में बिना लाभ बिना हानि के आधार पर चारा डिपो चालू किये गये हैं तथा वर्तमान में ऐसे 1 हजार 688 चारा डिपो संचालित हैं। अभावग्रस्त जिलों में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सभी गौ-शालाओं के पशुओं के चारे के लिए अनुदान

स्वीकृत किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पेयजल की व्यवस्था की जा रही है तथा असहाय, अपंग एवं वृद्ध लोगों को अनुग्रह सहायता भी दी जा रही है।

4. हाल ही में राज्य के 21 जिलों में फरवरी तथा मार्च के पहले पखवाड़े के दौरान भारी ओलावृष्टि हुई। इसके बाद अभी 20 मार्च को गंगानगर और बीकानेर जिलों में पुनः, और अधिक ओलावृष्टि हुई। इस आपदा के कारण रबी की फसल को भारी नुकसान हुआ है। बहुत से किसानों पर दोहरी मार हुई क्योंकि उनकी खरीफ की फसल सूखे से बरबाद हो गई तथा रबी की फसल ओलावृष्टि से नष्ट हो गई। इस आपदा से प्रभावित किसानों को राहत व सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है।

5. आने वाले तीन महीनों में हमें अकाल राहत प्रबंधन की ओर विशेष ध्यान देना होगा। मैं इस संबंध में अकाल प्रभावित क्षेत्र के निवासियों को आश्वस्त करना चाहूंगी कि शासन द्वारा राहत पहुंचाने में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जायेगी। श्रमिकों की संख्या सीमा, अनुग्रह सहायता राशि, पशु चिकित्सा एवं चारे व पेयजल की व्यवस्था हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी। आगामी वित्त वर्ष में आपदा प्रबंधन हेतु 415 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

6. कुछ ऐसी आपदायें होती हैं जिनमें सीआरएफ नॉर्मस के अंतर्गत राहत नहीं दी जा सकती है। ऐसी आपदाओं से निपटने तथा

प्रभावित व्यक्तियों को तुरंत राहत प्रदान करने हेतु राज्य सरकार ने पहली बार अपने स्तर पर 5 करोड़ रुपये का राजस्थान राहत कोष स्थापित करने का निर्णय लिया है।

7. इस वर्ष हमारे राज्य में लोकसभा चुनाव तथा विधानसभा के उपचुनावों के अतिरिक्त शहरी निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव संपन्न हुए। ये चुनाव निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शांतिपूर्वक संपन्न हुए जिसके लिए मैं इससे जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों का धन्यवाद करती हूं। साथ ही राज्य की जनता का भी आभार व्यक्त करती हूं जिसने पूरे उत्साह के साथ इस अनुष्ठान में भाग लिया एवं हमारे लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत बनाया। इन चुनावों का दूसरा पहलू यह भी है कि वर्ष के दौरान 156 दिनों तक आचार संहिता प्रभावी रही। इस कारण योजनाओं के क्रियान्वयन में कुछ अवरोध जरूर हुआ किन्तु हमने विकास की गति को धीमा नहीं होने दिया तथा अपने लक्ष्यों की पूर्ति के प्रति निरंतर प्रयत्नशील रहे।

8. गत बजट प्रस्तुत करने के पश्चात जनता एवं समाज के विभिन्न वर्गों से प्राप्त सकारात्मक प्रतिक्रिया एवं विभिन्न योजनाओं की क्रियान्विति के उत्साहवर्द्धक परिणामों से प्रेरित होकर, हमने इस बजट के माध्यम से आगामी वर्ष की कार्य योजनायें बनाई हैं जिनका मैं आगे उल्लेख करूंगी। हम आगामी वर्ष के लिए और अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने जा रहे हैं जिससे राज्य का चहुंमुखी

विकास हो सकेगा। इस बजट के माध्यम से हर वर्ग में खुशहाली और हर चेहरे पर मुस्कान लाना हमारा उद्देश्य है।

9. हमारे प्रदेश के आर्थिक पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण “कैपिटल फोर्मेशन” का पर्याप्त मात्रा में नहीं होना है। “कैपिटल फोर्मेशन” के अभाव में निवेश कम होता है जिससे विकास की दर धीमी रहती है और प्राकृतिक संपदाओं का पूर्ण रूप से दोहन नहीं हो पाता है। इसे ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने योजनान्तर्गत विकास कार्यक्रमों को गति प्रदान करने को अधिक महत्त्व दिया जिससे “कैपिटल फोर्मेशन” में वृद्धि हो सके।

योजनागत विनियोजन :

10. जैसाकि आप जानते हैं वर्ष 2003–04 की वार्षिक योजना का आकार प्रारंभ में 4 हजार 258 करोड़ रुपये का रखा गया था। हमारी सरकार ने कार्यभार संभालते ही योजना का आकार बढ़ाकर 5 हजार 500 करोड़ रुपये पुनर्निर्धारित कराया तथा वास्तविक व्यय 6 हजार 44 करोड़ रुपये से अधिक का हुआ। वर्ष 2004–05 के लिए राज्य की योजना का आकार योजना आयोग द्वारा 6 हजार 797 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया। योजना आयोग द्वारा राज्य की वर्ष 2005–06 की वार्षिक योजना 8 हजार 350 करोड़ रुपये की अनुमोदित की गई। हम इससे भी आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारा यह प्रयास होगा कि आगामी वर्ष में योजना कार्यों पर हम 8 हजार 697 करोड़ रुपये व्यय करें। इस प्रकार हमने 15 माह के समय में ही

योजना के आकार को बढ़ाकर दुगुने से भी ज्यादा कर दिया है। साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगी कि योजना के आकार को दुगुना करने के बावजूद हमने राज्य की वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार किया है जो राजस्व घाटे में कमी तथा ओवरड्राफ्ट की स्थिति पर नियंत्रण के रूप में परिलक्षित होता है। दिसंबर 1998 से लेकर 4 दिसंबर 2003 तक राज्य में 704 दिन ओवरड्राफ्ट की स्थिति रही थी। हमारी सरकार के कार्यभार संभालने के बाद 8 दिसंबर 2003 से 9 फरवरी 2004 तक की अवधि में राज्य पर केवल 8 दिनों में ओवरड्राफ्ट की स्थिति रही। 10 फरवरी 2004 से अब तक अर्थात् पूरे 13 महीनों में हम एक दिन के लिए भी ओवरड्राफ्ट में नहीं रहे। वर्ष 1993-94 के पश्चात यह पहला ऐसा वर्ष है जिसमें राज्य पूरे वर्ष में एक दिन भी ओवरड्राफ्ट में नहीं रहा है।

11. योजना के आकार में वृद्धि के साथ-साथ हमने योजनान्तर्गत व्यय की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया है। वर्ष 2002-03 में "कैपिटल आउटले" मात्र 2 हजार 570 करोड़ रुपये का ही था। वर्ष 2003-04 में हमने "कैपिटल आउटले" को बढ़ाकर 3 हजार 444 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2004-05 में 3 हजार 900 करोड़ रुपये किया। वर्ष 2005-06 के बजट अनुमानों में "कैपिटल आउटले" 5 हजार 161 करोड़ रुपये का प्रस्तावित है।

12. राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए प्राथमिकतायें निर्धारित करने हेतु हमने समाज के विभिन्न वर्गों जैसे किसानों, महिलाओं,

व्यापारियों व उद्योगपतियों से परामर्श करने के साथ-साथ आर्थिक विकास के क्षेत्र से जुड़े हुए जाने-माने विशेषज्ञों की राय भी प्राप्त की है ताकि हम उपलब्ध संसाधनों का कुशलतम उपयोग कर सकें। इस दृष्टि से राज्य में आर्थिक नीति एवं सुधार परिषद (इकनोमिक पॉलिसी एण्ड रिफोर्मस काउंसिल) का गठन किया गया जिसमें प्रख्यात अर्थशास्त्री, उद्योगपति तथा विषय विशेषज्ञों को सदस्य बनाया गया। आगामी वर्ष के बजट प्रस्ताव तैयार करते समय, परिषद की अनुशंसाओं को भी ध्यान में रखा गया है।

13. अर्थशास्त्रियों के मत में राज्य का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व अशक्त वर्ग की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना है। इसके साथ ही ऐसे वर्गों को उन सुविधाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित करवाना है जिन्हें प्राप्त करने में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अशक्त वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ाने हेतु उनके लिए रोजगार के अवसर सृजित करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के परिप्रेक्ष्य में सामान्य जन की शासन से अपेक्षायें पहले से कहीं अधिक हैं। इस दृष्टि से शासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं के स्तर में सुधार तथा आम आदमी तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना, राज्य का दायित्व है।

बाल पोषाहार :

14. आगामी वर्ष में 35 लाख 82 हजार बच्चों एवं महिलाओं को पूरक पोषाहार से लाभान्वित किया जा सकेगा जिस हेतु 153 करोड़ 27 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

15. संपूर्ण प्रदेश के राजकीय तथा अनुदानित विद्यालयों में पांचवीं कक्षा तक पढ़ने वाले 93 लाख 52 हजार छात्रों को “मिड—डे मील” योजना के अंतर्गत प्रतिदिन पूरक पोषाहार दिया जाता है। प्रतिदिन एक ही जैसा पोषाहार मिलने से न केवल एकरसता हो रही थी, अपितु बच्चों को यथेष्ट पोषण भी नहीं मिल पा रहा था। बच्चों को ताजा व पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने सप्ताह में कम से कम तीन दिन गर्म खाना देना प्रारंभ कर दिया है जिसका सभी वर्गों ने स्वागत किया है। इस क्रम में, राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि आगामी वर्ष में सप्ताह के सभी दिन इन छात्रों को गर्म पौष्टिक भोजन जिसमें दाल रोटी चावल या दाल बाटी शामिल हो, उपलब्ध कराया जाये। इस योजना के लिए आगामी वर्ष में 100 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान प्रस्तावित है।

16. पूरक पोषाहार योजना को अधिक व्यापक बनाने के उद्देश्य से हम स्वयंसेवी संस्थाओं से भी सहयोग की आशा करते हैं। इस दृष्टि से, राज्य सरकार द्वारा “बाल रसोई” नाम से एक योजना प्रारंभ की जायेगी जिसमें राज्य सरकार अपने अंशदान के रूप में रसोई के उपकरणों हेतु एकमुश्त राशि एवं मिड—डे मील योजना के मानदण्डों के अनुरूप सामग्री तथा नकद राशि उपलब्ध करायेगी। शेष व्यवस्था योजना चलाने वाली संस्था अथवा यह उत्तरदायित्व लेने वाले व्यक्ति द्वारा अपने संसाधनों से की जायेगी। महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों से स्थानीय स्तर पर भोजन बनवाने का कार्य करवाया जा सकेगा।

17. पोषाहार तथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढीकरण की दृष्टि से इस वर्ष 26 हजार 521 सहयोगिनियों को नियोजित करने की स्वीकृति जारी की गयी थी जिनमें से 20 हजार सहयोगिनियों का ग्राम सभाओं के माध्यम से चयन भी किया जा चुका है। शेष 6 हजार 521 सहयोगिनियों का चयन शीघ्र ही कर लिया जायेगा। आगामी वर्ष में 9 हजार 300 अतिरिक्त सहयोगिनियों को नियोजित करने हेतु आवश्यक प्रावधान प्रस्तावित है। इस प्रकार सहयोगिनियों की कुल संख्या 35 हजार 821 हो जायेगी। इससे सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ रोजगार के अधिक अवसर भी सृजित होंगे।

जनजाति विकास :

18. राज्य की जनसंख्या का लगभग 12.6 प्रतिशत भाग अनुसूचित जनजाति का है। जनजाति विकास के महत्त्व को देखते हुए हमने गत बजट में इनके लिए निर्धारित प्रावधान को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 30 करोड़ रुपये किया था। आगामी वर्ष में, इस प्रावधान को और बढ़ाते हुए 75 करोड़ 51 लाख रुपये करना प्रस्तावित है।

19. सहरिया परिवारों की विशिष्ट समस्याओं के संबंध में शासन को समय पर जानकारी उपलब्ध होना आवश्यक है ताकि यथासमय उसके निराकरण की कार्रवाई की जा सके। वर्तमान में लगभग 16 हजार 500 सहरिया परिवार हैं। इन सभी परिवारों की

रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा खाद्य सुरक्षा से संबंधित मापदंडों की निरंतर ट्रेकिंग की जायेगी।

20. सहरिया क्षेत्रों में स्कूल जाने से वंचित बच्चों के लिए माँ-बाड़ी योजना चलाई जा रही है, जिसके अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। इस योजना की सफलता को देखते हुए वर्ष 2005-06 में एक सौ अतिरिक्त माँ-बाड़ी केन्द्र खोलना प्रस्तावित है। अनुसूचित जनजाति एवं सहरिया क्षेत्रों में 12वीं कक्षा पास अनुसूचित जनजाति एवं सहरिया युवतियों की वैकल्पिक शालाओं में शिक्षा मित्र के रूप में सेवायें देने की व्यवस्था की जायेगी, जिसके लिए इन युवतियों को 40 रुपये प्रति विद्यार्थी की दर से प्रतिमाह मानदेय देय होगा।

21. जनजाति दस्तकारों को हस्तशिल्प निर्माण हेतु पर्याप्त स्थान व सुविधा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से 488 वर्क शेड्स निर्मित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त 6 करोड़ रुपये की लागत से 2 हजार 300 जनजाति के परिवारों के कच्चे मकानों में पक्के कमरों का निर्माण करवाया जायेगा। अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को सुविधा देने की दृष्टि से 4 करोड़ 80 लाख रुपये की लागत से 12 छात्रावास निर्मित किये जायेंगे जिनमें से 6 छात्रावास बालिकाओं के लिए होंगे। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की सभी पंचायत समितियों में सामुदायिक आधार पर पॉवर थ्रेशर वितरित किये जायेंगे।

अनुसूचित जाति :

22. गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों की बालिकाओं के कल्याण के लिए आगामी वर्ष से “सहयोग” नाम की योजना लागू की जायेगी। इन परिवारों की पुत्री की शादी के अवसर पर 5 हजार रुपये की अनुग्रह राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी। इस योजना पर 20 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष व्यय होंगे।

23. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को महाविद्यालय शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु राज्य में प्रथम बार इन छात्राओं के लिए महाविद्यालय स्तर पर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध करवाने की योजना प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के प्रथम चरण में 6 संभागीय मुख्यालयों पर आगामी वर्ष में 2 करोड़ 10 लाख रुपये की लागत से छात्रावास भवनों का निर्माण किया जायेगा।

24. अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए अनुप्रति योजना इस वर्ष प्रारंभ की गई है जिसे आगामी वर्ष भी जारी रखा जायेगा। इस योजना के अंतर्गत सिविल सेवा की प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण अनुसूचित जाति के युवक-युवतियों को परीक्षा के आगामी चरण की तैयारी हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जायेगी। आगामी वर्ष से राज्य की सिविल सेवा परीक्षा देने वाले अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों

को भी इस योजना का लाभ दिया जायेगा। इस हेतु पृथक से दिशा निर्देश जारी किये जायेंगे।

पशुपालकों के बच्चों हेतु आवासीय विद्यालय :

25. राज्य में पड़ने वाले सूखे के कारण पश्चिमी राजस्थान के पशुपालक अपने पशुओं को लेकर पास के राज्य में चले जाते हैं जिसके कारण ऐसे परिवारों के बच्चों को शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है। राज्य सरकार द्वारा ऐसे परिवारों के बच्चों के लिए एक आवासीय विद्यालय खोला जायेगा। यह आवासीय विद्यालय उस स्थान पर खोला जायेगा जहां पाली, सिरोही व जालौर जिलों की सीमाएं एक साथ मिलती हैं, ताकि तीनों जिलों के पशुपालक अपने बच्चों को इस विद्यालय में पढा सकें। भिक्षावृत्ति एवं अन्य अवांछित वृत्तियों में लिप्त परिवारों के बच्चों को भी शिक्षा की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से एक विशेष आवासीय विद्यालय स्थापित करने की योजना है। इन योजनाओं पर आगामी वर्ष में लगभग 6 करोड़ रुपये का व्यय होना अनुमानित है।

निःशक्त बच्चों का सर्वे व प्रशिक्षण :

26. निःशक्त बच्चों की आवश्यकतायें भिन्न एवं विशिष्ट प्रकृति की होती हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति की दृष्टि से ऐसे बच्चों के चिन्हींकरण हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से सर्वे करवाया जायेगा। राजकीय विद्यालयों के 300 शिक्षकों को विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जायेगा ताकि वे ऐसे बच्चों के अध्यापन हेतु सक्षम हो

सकें। निःशक्त बच्चों के कल्याण हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से आवासीय विद्यालय खोले जायेंगे। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान उपलब्ध करवाया जायेगा। निःशक्त बच्चों हेतु संचालित प्रत्येक समेकित विद्यालय में इन बच्चों की देखभाल व अध्यापन हेतु निर्धारित दो वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त, एक अध्यापक को नियुक्त किया जायेगा तथा निःशक्त बच्चों हेतु संचालित अन्य शिक्षण संस्थानों में अध्यापकों के रिक्त पद प्राथमिकता से भरे जायेंगे।

ओल्ड ऐज होम्स :

27. गत बजट में वृद्धजन नीति बनाने की घोषणा की गई थी। यह नीति बनाली गई है और आगामी वर्ष से इस नीति के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों हेतु कल्याण के कार्यक्रम प्रारंभ किये जायेंगे। वृद्धजनों के कल्याण हेतु आगामी वर्ष में जनसहभागिता के आधार पर "ओल्ड ऐज होम्स" की स्थापना की जायेगी।

महिला विकास :

28. महिलाओं के विकास के बिना राज्य के संपूर्ण विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। पिछले बजट भाषण में महिलाओं को केन्द्रित कर इनके समेकित विकास हेतु समयबद्ध विकास का उल्लेख किया गया था। इन वर्गों के उत्थान तथा इनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का यह अभियान जारी रहेगा।

29. राजस्थान ने 90 के दशक के दौरान साक्षरता दर में 22.48 प्रतिशत की वृद्धि की। फिर भी, महिला साक्षरता के क्षेत्र में राज्य अभी भी पीछे है तथा महिला साक्षरता की दर 43.9 प्रतिशत है जो, राष्ट्रीय औसत से कम है। हमारा संकल्प है कि महिला साक्षरता दर को राष्ट्रीय स्तर पर लाया जाये। इस उद्देश्य की पूर्ति की दृष्टि से आगामी वर्ष में 500 आवासीय ब्रिज कोर्स, तथा 5 हजार महिला साक्षरता कैंप, आयोजित किये जायेंगे जिन पर 13 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

30. आगामी वर्ष में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के अधीन नवीन एवं क्रमोन्नत विद्यालयों में बालिकायें पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने पर, बालिका विद्यालयों का अनुपात 30 प्रतिशत रखने का प्रयास किया जायेगा। साथ ही हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि, ऐसा एक भी बालिका विद्यालय नहीं हो जिसमें शौचालय व पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो। इसके अतिरिक्त हमने यह भी निर्णय लिया है कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक तथा महाविद्यालयों में पढ़ने जाने हेतु ग्रामीण छात्राओं को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाई जाये। स्कूली छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करवाने की योजना आगामी वर्ष में भी जारी रहेगी।

31. किशोरी बालिकाओं को स्वास्थ्य, पोषण तथा जीवन कौशल की शिक्षा प्रदान करने की दृष्टि से राज्य के शेष रहे 72 खंडों

में "दुलारी" योजना लागू की जायेगी, जिस पर आगामी वर्ष में 80 लाख रुपये व्यय किये जायेंगे।

32. अनुसूचित जनजाति एवं सहरिया क्षेत्रों में कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत जनजाति की छात्राओं को शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने की दृष्टि से निःशुल्क साइकिलें वितरित करने की योजना इस वर्ष प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत, आगामी वर्ष में 17 हजार 300 छात्राओं को साइकिलें वितरित की जायेंगी।

33. जिन जिलों में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की संख्या अधिक है वहां महिला थानों की स्थापना प्राथमिकता से की जानी आवश्यक है। इस क्रम में, आगामी वर्ष में दो जिलों में महिला थाने तथा जिला मुख्यालयों पर स्थित 90 पुलिस थानों पर महिला सहायता केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।

34. मेरे पास अकसर थानों में महिला पुलिसकर्मी नहीं होने की शिकायत प्राप्त होती है। मेरा यह मानना है कि महिला उत्पीड़न रोकने हेतु महिला थानों में पर्याप्त संख्या में महिला पुलिसकर्मी उपलब्ध होने चाहिये। अतः महिला थानों और महिला सहायता केन्द्रों पर आवश्यक संख्या में महिला पुलिसकर्मी उपलब्ध करवाने के प्रयास किये जायेंगे। वर्तमान में पुलिस बलों में महिलाकर्मियों की कमी है। आगामी वर्ष में 4 हजार नये पुलिसकर्मियों की भर्ती की जायेगी। मुझे

आशा है कि इस भर्ती के माध्यम से 1 हजार 200 महिला पुलिसकर्मियों की नियुक्ति हो सकेगी।

35. माइक्रो फाईनेंस के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक विकास में स्वयं सहायता समूहों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अभी तक 9 लाख महिलायें इस कार्यक्रम से जुड़ चुकी हैं। आगामी वित्तीय वर्ष में 20 हजार नये समूहों के माध्यम से 2 लाख महिलाओं को इस अनुष्ठान से जोड़ा जायेगा। गत बजट घोषणा की अनुपालना में राज्य स्तर पर स्वयं सहायता समूह संस्थान स्थापित किया जा चुका है। आगामी वर्ष में प्रत्येक संभाग स्तर पर एक स्वयं सहायता समूह केन्द्र स्थापित किया जायेगा, जो महिलाओं को ऋण उपलब्ध करवाने में सहायता प्रदान करने के साथ-साथ महिला समूहों की क्षमता विकास एवं उनके उत्पादों के लिए विपणन सुविधा भी उपलब्ध करवायेगा।

36. आंगन बाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, सहयोगिनियों तथा साथिनों के हितार्थ एक कल्याण कोष की स्थापना की जायेगी जिसमें राज्य सरकार का योगदान 25 प्रतिशत रहेगा। इस कोष की स्थापना से इन महिला कार्यकर्ताओं को न्यूनतम कार्य अवधि की समाप्ति पर निश्चित राशि भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उपलब्ध हो सकेगी।

37. विधवाओं व विकलांगों को वर्तमान में दी जा रही पेंशन के अतिरिक्त प्रतिमाह 10 किलो गेहूं निःशुल्क उपलब्ध करवाया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विधवा महिलाओं व विकलांगों को पेंशन व निःशुल्क गेहूं सुचारु रूप से वितरित हो।

38. विभिन्न विभागों द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवंटित राशि का कितना हिस्सा और कितना लाभ महिलाओं तक पहुंचता है, इसका मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है। इस उद्देश्य से आगामी वर्ष में संबंधित विभागों का जेंडर ऑडिट किये जाने की शुरुआत की जायेगी।

सैनिक कल्याण :

39. सैनिक कल्याण की दृष्टि से, भीलवाड़ा में सैनिक कल्याण कार्यालय की स्थापना आगामी वर्ष में की जायेगी। सीकर व झुंझुनू में युद्ध विधवाओं के लिए आवास गृह का निर्माण किया जायेगा। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व के सैनिकों की विधवाओं को राज्य सरकार द्वारा 300 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। यह प्रस्तावित है कि इस राशि को दुगुना कर 600 रुपये प्रतिमाह कर दिया जाये।

40. वर्तमान में राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों को 1 हजार 500 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान किया जा रहा है जिसे बढ़ाकर 2 हजार रुपये प्रतिमाह करना प्रस्तावित है।

41. सैनिक स्कूल चित्तोड़गढ़ राज्य में एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान है जो सेना में भर्ती हेतु छात्रों को विशेष रूप से तैयार करता है। इस विद्यालय को देश के इस प्रकार के सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों की श्रेणी में लाने के उद्देश्य से विभिन्न विकास कार्यों हेतु राज्य सरकार द्वारा आगामी वर्ष में 2 करोड़ 50 लाख रुपये स्वीकृत किये जायेंगे।

42. राज्य के अनेकों युवक सेना में जवानों के रूप में भर्ती होते हैं परंतु सेना में अधिकारियों की श्रेणी में राज्य का प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत कम है। अतः सेना के अधिकारियों के चयन की प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु दक्षता में वृद्धि के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ करने हेतु राज्य सरकार सहायता प्रदान करेगी।

शिक्षा :

43. राज्य में प्रारंभिक शिक्षा को और अधिक व्यापक बनाने की दृष्टि से आगामी वर्ष में 2 हजार वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों को प्राथमिक शालाओं में परिवर्तित करना प्रस्तावित है। इसके साथ ही 1 हजार नई प्राथमिक शालायें खोली जायेंगी। इसके अतिरिक्त 1 हजार 600 प्राथमिक शालाओं को उच्च प्राथमिक शालाओं में क्रमोन्नत किया जायेगा। साथ ही 500 उच्च प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक शालाओं में क्रमोन्नत किया जायेगा तथा 250 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा। नये विद्यालय प्रारंभ करने एवं विद्यालयों के क्रमोन्नयन पर 209 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय होना अनुमानित है। नवीन विद्यालय खोलने तथा विद्यालयों के

क्रमोन्नयन के परिणामस्वरूप 7 हजार 200 पदों पर नये शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी।

44. शिक्षा के यूनिवर्सलाइजेशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सरकार अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जनसहभागिता के माध्यम से इन लक्ष्यों को और भी जल्दी प्राप्त किया जा सकता है। इस दृष्टि से एक योजना बनाई जा रही है जिसके अंतर्गत आवर्ती व्यय को वहन करने के लिए सहमत व्यक्ति या संस्था सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये भवनों में शाला का संचालन कर सकेंगे।

45. संस्कृत विश्वविद्यालय के सुदृढीकरण हेतु निजी संस्थानों के सहयोग से विशेषज्ञ पीठों की स्थापना की जायेगी। अल्पसंख्यक भाषाओं को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से पंजाबी एकेडमी की स्थापना की जायेगी तथा सिंधी, ब्रज भाषा, संस्कृत व उर्दू एकेडमी को आगामी वर्ष 20-20 लाख रुपये की सहायता राशि योजना मद के अंतर्गत उपलब्ध करवाई जायेगी। सिंधी, उर्दू व पंजाबी के विकास हेतु इन भाषाओं के अध्यापकों की नियुक्ति की जायेगी। मदरसों के आधुनिकीकरण एवं वहां दी जा रही शिक्षा के सुदृढीकरण एवं विकास हेतु आगामी वित्त वर्ष में 4 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करवाई जायेगी।

तकनीकी शिक्षा :

46. मैंने गत वर्ष राज्य में तकनीकी शिक्षा तथा चिकित्सा शिक्षा को नई दिशा देने की दृष्टि से तकनीकी विश्वविद्यालय और मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की थी। आगामी वर्ष में इन विश्वविद्यालयों के लिए 5—5 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

47. युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दृष्टि से व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा को विशेष महत्त्व दिया जा रहा है। आगामी वर्ष में 20 नये आई.टी.आई. और 5 नये पोलिटेक्निक महाविद्यालय खोले जायेंगे। इस हेतु 45 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। राज्य में वर्तमान में स्थापित पोलिटेक्निक महाविद्यालयों व आई.टी.आई. के आधुनिकीकरण हेतु 15 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

उच्च शिक्षा :

48. महिला उच्च शिक्षा हमारी एक प्राथमिकता है। अभी तक हनुमानगढ, चूरु, सीकर, धौलपुर व राजसमंद जिला मुख्यालयों पर महिला महाविद्यालय नहीं हैं। इन स्थानों पर महिला महाविद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से यह प्रस्तावित है कि अगर कोई संस्था इन स्थानों पर महिला महाविद्यालय खोलने, और इसका आवर्ती व्यय भी वहन करने हेतु तैयार है, तो राज्य सरकार न्यूनतम आवश्यकता के अनुरूप भवन बनाकर टोकन लीज पर उपलब्ध

करवायेगी। मुझे आशा है कि इस सुविधा से इन स्थानों पर महिला महाविद्यालय खुल सकेंगे।

49. पूर्व के वर्षों में करौली, चौमूं, राजसमंद व सिरोही में महाविद्यालय खोले गये, किंतु इनके लिए भवनों का निर्माण नहीं किया गया। इस कमी को पूरा करने हेतु आगामी वर्ष में इन चारों स्थानों पर महाविद्यालयों हेतु भवनों का निर्माण प्रारंभ किया जायेगा।

50. शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों हेतु प्रत्येक राजकीय महाविद्यालय में कैरियर काउंसलिंग की व्यवस्था की जायेगी। कॉल सेंटर तथा बीपीओ के माध्यम से रोजगार के नये अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। ऐसे रोजगार हेतु एक विशेष किस्म की योग्यता आवश्यक होती है जिसमें अंग्रेजी भाषा में निपुण होना सम्मिलित है। इस उद्देश्य से अंग्रेजी भाषा की दक्षता प्राप्त करने के इच्छुक नव युवकों की सुविधा के लिए दक्षता वृद्धि पाठ्यक्रम आयोजित करने वाली संस्थाओं को प्रोत्साहित करने हेतु योजना बनाई जा रही है।

51. वर्तमान में राजकीय महाविद्यालयों में 913 व्याख्याताओं के पद रिक्त हैं। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि आगामी 2 वर्षों में व्याख्याताओं के इन सभी रिक्त पदों पर नियमित नियुक्तियां की जायेंगी।

खेल व युवा मामले :

52. यह बड़े हर्ष का विषय है कि इस वर्ष राजस्थान के सपूतों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष स्थान प्राप्त करने में सफलता हासिल की है। मेजर राज्यवर्द्धन सिंह राठौड़ ने एथेंस ओलम्पिक में निशानेबाजी प्रतियोगिता में देश के लिए रजत पदक प्राप्त किया। सितंबर 2004 में एथेंस पैरा ओलम्पिक प्रतियोगिता में भाला फैंक स्पर्धा में देवेन्द्र सिंह झाझड़िया ने स्वर्ण पदक जीता। सदन के माध्यम से मैं इन दोनों खिलाड़ियों को बधाई देती हूं। मेरा विश्वास है कि हमारे प्रदेश में खेलों के क्षेत्र में और भी प्रतिभायें हैं जिन्हें निखारने की आवश्यकता है। राज्य सरकार एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहती है जिसमें खेलों को अधिक महत्त्व दिया जाये।

53. खेलों में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में राजस्थान का प्रतिनिधित्व बढ़ाने तथा खिलाड़ियों को सुविधायें प्रदान करने हेतु हम निरंतर प्रयासरत हैं। आगामी वर्ष में 6 जिला मुख्यालयों पर नये खेल स्टेडियमों का निर्माण प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर तथा बरकतुल्लाहखां स्टेडियम जोधपुर के विकास पर 3 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर के तरणताल को सभी मौसमों के अनुकूल विकसित करने हेतु 1 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य :

54. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विभिन्न सूचकांको की दृष्टि से राजस्थान राष्ट्रीय औसत से नीचे है। यदि हम मिलेनियम डवलपमेंट गोल्स पर नजर डालें तो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमें विशेष प्रयास करने होंगे।

55. आगामी वर्ष में चिकित्सा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का विभिन्न स्तरों पर विस्तार करने हेतु कार्य योजना तैयार की गई है। आगामी वर्ष में 27 नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। इसके अतिरिक्त 34 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 123 उपस्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। स्वास्थ्य केन्द्र खोलने में मरु एवं जनजाति क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जायेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा के व्यापक प्रसार हेतु 227 उप स्वास्थ्य केंद्रों, 21 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए नये भवनों का निर्माण आगामी वर्ष में किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही 1 हजार स्वास्थ्य उप केन्द्रों के भवनों का नवीनीकरण भी किया जाना प्रस्तावित है। प्रसूतिगृहों में आवश्यक सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से 200 प्रसूतिगृहों में सौर ऊर्जा से संचालित हीटर स्थापित करना प्रस्तावित है।

56. झालावाड़ में 300 शैय्याओं वाले राजकीय चिकित्सालय के निर्माण तथा इसमें आवश्यक विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधायें विकसित करने हेतु 22 करोड़ 23 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

57. विशिष्ट आपातकालीन प्रसूति चिकित्सा इकाइयों में एनेस्थिसिया विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रसूता महिलाओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन इकाइयों के सुदृढीकरण के उद्देश्य से एनेस्थिसिया में स्नातकोत्तर योग्यता रखने वाले चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्त किया जायेगा। साथ ही बाड़मेर और जैसलमेर जिलों की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए इन जिलों के उप स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु 570 एएनएम के अतिरिक्त पद सृजित किये जायेंगे। मातृ मृत्यु दर व शिशु मृत्यु दर में कमी लाने की दृष्टि से आगामी वर्ष में 10 हजार दाइयों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

58. आगामी वर्ष में चिकित्सा महाविद्यालयों एवं इनसे संबंधित चिकित्सालयों में सुविधाओं के विस्तार हेतु राज्य सरकार द्वारा लगभग 20 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। जयपुर, बीकानेर व अजमेर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर कैथ लैब की स्थापना की जा रही है।

59. आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति हमारी एक अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर है। इस पद्धति से कई असाध्य रोगों की चिकित्सा संभव है और सामान्यतया कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से 30 नये आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोले जाना तथा “ब” श्रेणी के 17 आयुर्वेदिक औषधालयों को “अ” श्रेणी में क्रमोन्नत करना

प्रस्तावित है। 35 नये होम्योपैथी औषधालय तथा 4 नये यूनानी औषधालय खोले जाना प्रस्तावित है।

ग्रामीण विकास :

60. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने की दृष्टि से वर्ष 2004-05 में हमने गुरु गोलवलकर योजना प्रारंभ की है। इस सहभागिता योजना के प्रति लोगों के उत्साह को दृष्टिगत रखते हुए आगामी वर्ष में इस योजना के प्रावधान को 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 28 करोड़ रुपये किया जा रहा है।

61. आगामी वित्त वर्ष में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं पर लगभग 764 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान है जो चालू वर्ष से लगभग 145 करोड़ रुपये अधिक है। ग्रामीण आवास योजनाओं के तहत 25 हजार से अधिक नये मकानों का निर्माण एवं 12 हजार 351 अतिरिक्त निर्माण कार्यों हेतु अनुदान दिया जायेगा।

62. डांग क्षेत्र विकास योजना हेतु आगामी वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त मगरा क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रस्ताव है जिस हेतु आगामी वर्ष 5 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। हमारे राज्य में नेशनल

फूड फॉर वर्क प्रोग्राम चार जनजाति जिलों तथा करौली में लागू है। मैंने केन्द्र सरकार से मांग की है कि राज्य के कम से कम 8 जिलों में यह योजना लागू की जानी चाहिये।

63. योजनायें तैयार करते समय कई बार यह देखा जाता है कि स्थानीय जन आकांक्षाओं एवं आवश्यकताओं को पर्याप्त महत्त्व नहीं मिल पाता है। अतः राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि आगामी वर्ष में विकेन्द्रीकृत योजना को बढ़ावा देने एवं योजना तैयार करने में जन आकांक्षाओं व स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु स्वःविवेक योजना लागू की जाये। इस हेतु निर्बद्ध राशि के रूप में 9 करोड़ 60 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

वन एवं वन्यजीव :

64. आगामी वर्ष में वन विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं में 150 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। 25 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जायेगा, 35 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में अग्रिम मृदा कार्य करवाये जायेंगे तथा 80 लाख पौधों का कृषि वानिकी हेतु वितरण किया जायेगा। विभाग द्वारा किये जाने वाले विकास कार्यों के अंतर्गत लगभग 120 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजित होगा। इसके अतिरिक्त विश्व खाद्य कार्यक्रम के अंतर्गत 8 लाख खाद्य इकाइयां मजदूरी के अंश के रूप में वितरण हेतु उपलब्ध करवाई जायेंगी।

65. हमारा राज्य वन्यजीव क्षेत्र में विविधता के लिए भी विशेष रूप से जाना जाता है। हमारे यहां अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का अभ्यारण्य और रणथम्भोर राष्ट्रीय उद्यान आदि स्थित हैं। वन्यजीव प्रबंधन के लिए राज्य सरकार को सुझाव देने के संबंध में माननीय श्री वी.पी. सिंह, सांसद की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स गठित की गई है जो इन वन्यजीव अभ्यारण्यों के समग्र विकास और सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक सुझाव देगी। इन सुझावों पर राज्य सरकार द्वारा प्रभावी कदम उठाये जायेंगे ताकि हम केवलादेव सहित सभी 25 अभ्यारण्यों में अपनी वन्यजीव संपदा को सुरक्षित रख सकें।

कृषि :

66. वर्ष 2004-05 में कृषि एवं उद्यान विभागों द्वारा संचालित कार्यक्रमों के लिए 66 करोड़ 53 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया था जिसे आगामी वित्त वर्ष में बढ़ाकर 136 करोड़ 73 लाख रुपये करना प्रस्तावित है।

67. जल के कुशलतम उपयोग हेतु इस वर्ष जल संरक्षण सिंचाई पद्धतियों जैसे फव्वारा, बूंद-बूंद, पाइप लाइन इत्यादि पद्धतियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आगामी वर्ष जल के कुशलतम उपयोग हेतु इन पद्धतियों के महत्त्व को देखते हुए इनके अधिक से अधिक उपयोग पर बल दिया जायेगा। फव्वारा सिंचाई

पद्धति हेतु पिछले पांच वर्षों में प्रतिवर्ष औसतन 12 हजार 76 कृषकों को लाभान्वित किया गया था जिसकी तुलना में आगामी वर्ष में 20 हजार कृषकों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति में पिछले पांच वर्षों में प्रतिवर्ष औसतन 719 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई जिसकी तुलना में आगामी वर्ष में 1 हजार 600 हैक्टेयर क्षेत्र में यह सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। गत पांच वर्षों में प्रतिवर्ष औसतन 1 हजार 204 किलोमीटर पाइप लाइन से सिंचाई की सुविधा प्रदान की गयी। इसकी तुलना में आगामी वर्ष में 2 हजार 500 किलोमीटर पाइप लाइन से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। डिग्गी फव्वारा सिंचाई में पिछले पांच वर्षों में औसतन प्रतिवर्ष 234 कृषकों को लाभान्वित किया गया जिसकी तुलना में आगामी वर्ष में 400 कृषकों को लाभान्वित करना प्रस्तावित है। इन सुविधाओं के उपयोग से 14 हजार 500 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई संभव हो सकेगी। जल के कुशलतम उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु आगामी वर्ष उपरोक्त सभी योजनाओं को समाहित करते हुए, “अमूल्य नीर” योजना लागू की जायेगी।

68. अनुसूचित जाति तथा जनजाति के कृषकों के कल्याण के लिए नाबार्ड की सहायता से और पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से विशेष वर्षा जल संचयन योजना लागू की जायेगी जिसके अंतर्गत 1 हजार 600 वर्षा जल संचयन कार्यो हेतु 50 प्रतिशत ऋण व

50 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इसमें, सर्वप्रथम, पायलेट आधार पर, बूंदी, टोंक और झुंजारपुर जिलों में कार्य हाथ में लिये जायेंगे।

69. इस वर्ष कृषकों को 4 लाख 60 हजार क्विंटल प्रमाणित बीजों का वितरण किया गया था। आगामी वर्ष 6 लाख 6 हजार क्विंटल प्रमाणित बीजों के वितरण का लक्ष्य रखा गया है। बीजों की गुणवत्ता तथा विश्वसनीयता में वृद्धि हेतु राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा आगामी वर्ष में 2 नये बीज विधायन केन्द्र स्थापित किये जायेंगे एवं विद्यमान 16 बीज विधायन केन्द्रों का आधुनिकीकरण एवं विस्तार किया जायेगा। इससे बीज निगमों के संयंत्रों की विधायन क्षमता 3 लाख 91 हजार क्विंटल से बढ़कर 5 लाख 91 हजार क्विंटल प्रतिवर्ष हो जायेगी।

70. राज्य में कृषि से संबंधित आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु आगामी वर्ष में 2 नवीन बीज परीक्षण प्रयोगशालायें तथा एक उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना करना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त 12 नवीन मृदा परीक्षण प्रयोगशालायें खोलने की योजना है जिससे राज्य के प्रत्येक जिले में मृदा परीक्षण की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। ये नवीन प्रयोगशालायें दौसा, झुंझुनू, हनुमानगढ़, चूरू, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बूंदी, बारां, करौली, धौलपुर और राजसमंद में खोली जायेंगी।

71. रतनजोत भविष्य का बॉयो ईंधन है। राज्य में लगभग 64 लाख हैक्टेयर बंजर भूमि है जिसमें रतनजोत की खेती का विकास किये जाने की विपुल संभावनायें हैं। आगामी वर्ष में एक हजार हैक्टेयर क्षेत्र में रतनजोत पौधारोपण किया जायेगा तथा रतनजोत बीज से बॉयो डीज़ल तैयार करवाने के संयंत्र लगाने वाले संस्थानों को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

72. प्रदेश में क्षारीय भूमि के सुधार तथा दलहनी व तिलहनी फसलों के उत्पादन एवं उनकी गुणवत्ता बढ़ाने हेतु जिप्सम के वितरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में वर्ष 1999–2000 से 2003–04 की अवधि में प्रतिवर्ष औसतन 29 हजार 430 मैट्रिक टन जिप्सम वितरित किया गया था। इसकी तुलना में वर्ष 2004–05 में 92 हजार मैट्रिक टन जिप्सम वितरित किया गया। आगामी वर्ष में 1 लाख 50 हजार मैट्रिक टन जिप्सम वितरित करने का लक्ष्य है।

73. नवीन अनुसंधान तथा उन्नत बीजों के विकास की दृष्टि से कृषि विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय निगमों व संस्थाओं को परिणाम आधारित अनुबंध के आधार पर सहायता देना प्रस्तावित है। उच्च गुणवत्ता के प्लांटिंग मैटेरियल विकसित करने हेतु 2 नवीन टिश्यू कल्चर केन्द्र स्थापित करना प्रस्तावित है जिनमें से एक गंगानगर में होगा।

74. उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने की दृष्टि से कृषि जलवायु के आधार पर चयनित जिलों में कम से कम 5-5 गांवों को उद्यानिकी ग्रामों के रूप में विकसित किया जायेगा। शुष्क उद्यानिकी फसलों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से वर्षा के पानी को संग्रहीत कर ड्रिप पद्धति से सिंचाई का विकास किया जायेगा।

75. कृषि क्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग एवं इनसे होने वाले दुष्परिणामों को कम करने की दृष्टि से किसानों को जैविक खेती अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा। इस उद्देश्य से कृषि जलवायु खंडवार व फसलवार पैकेज आफ प्रैक्टिस तैयार की जायेगी। कृषि विभाग का कृषि जलवायु खंडवार (Agro Climatic Zone-wise) पुनर्गठन किया जायेगा तथा एक संयुक्त निदेशक स्तर का अधिकारी प्रत्येक कृषि जलवायु खंड का प्रभारी होगा। प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर चयनित ग्रामों में जैविक खेती अपनाने हेतु कृषकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाये जायेंगे ताकि वे वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टीसाइड आदि तकनीक अपना सकें। जैविक खेती को पनपाने के लिए यह आवश्यक है कि राज्य में प्रमाणीकरण संस्था उपलब्ध हो। अतः राजस्थान राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था को राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक खेती प्रमाणीकरण संस्था में परिवर्तित किया जायेगा।

76. जैविक कृषि को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से नाबार्ड की सहायता से गौसेवा संघ द्वारा एक योजना संचालित की जायेगी जिसके अंतर्गत जैव अपशिष्ट को कृषि हेतु उपयोगी तत्वों में परिवर्तित करने की वर्मी कल्चर एवं अन्य पद्धतियां अपनाई जायेंगी ।

77. किसानों को उनकी उपज का अधिक से अधिक मूल्य दिलवाने हेतु विपणन व्यवस्था को सुदृढ़ करना आवश्यक है । कृषि उत्पादों, विशेषकर फल, सब्जी, मसालों, औषधी उत्पादों व फूलों आदि के मूल्य संवर्द्धन, प्रसंस्करण, भंडारण, ग्रेडिंग, सर्टिफिकेशन, विपणन व निर्यात संबंधी योजनायें नाबार्ड की सहायता से कृषि विपणन बोर्ड द्वारा चलायी जायेगी । साथ ही कृषि जिंसों पर आधारित विशिष्ट मंडियों जैसे सोजत में मेंहदी मंडी, अजमेर में फूल मंडी और जोधपुर में जीरा मंडी को विकसित करना प्रस्तावित है ।

78. मैंने गत बजट में खरीफ हेतु सभी मुख्य फसलों पर कृषि बीमा योजना लागू करने की घोषणा की थी । गत खरीफ फसलों की क्षति के आकलन को दृष्टिगत रखते हुए, आगामी वर्ष में लगभग 100 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किसानों को किया जायेगा । आगामी वर्ष में राज्य की सभी प्रमुख फसलों को कृषि बीमा योजना में सम्मिलित करना प्रस्तावित है ।

79. इस वर्ष कृषि बीमा योजना के साथ-साथ, हमने पायलेट आधार पर, संतरा एवं धनिया के लिए मौसम बीमा योजना लागू की थी जिसके सकारात्मक परिणाम आये हैं। आगामी वर्ष में इस योजना को किन्नू, जीरा, सौंफ, मेथी इत्यादि पर भी लागू किया जायेगा।

80. जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने से राजस्थान से फल व सब्जियों के सीधे निर्यात की संभावनायें बढ़ी हैं। हाल ही में राज्य से दुबई को सब्जियों का सीधे निर्यात प्रारंभ हुआ है। उक्त निर्यात से किसानों की आय में वृद्धि हो रही है। किसानों को उनकी उपज का और अधिक मूल्य दिलाने व राज्य से फलों व सब्जियों तथा अन्य कृषि उत्पाद के निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य में कृषि उत्पाद निर्यात प्रोत्साहन योजना लागू की जायेगी।

81. कृषि और संबद्ध क्षेत्रों जैसे डेयरी, मीट व मत्स्य उत्पादन में इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने हेतु नाबार्ड की वित्तीय सहायता से कृषि विपणन बोर्ड द्वारा परियोजनायें लागू की जायेंगी जिनमें पूंजी लागत का 25 प्रतिशत अनुदान देय होगा। इन प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत मार्केट यार्ड पैकेजिंग तथा क्वालिटी टेस्टिंग आदि की सुविधायें स्थापित की जायेंगी।

सहकारिता :

82. सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाने हेतु उनके चुनाव शीघ्र करवाने आवश्यक हैं। इस दृष्टि से राजस्थान सहकारी समिति

संशोधन अधिनियम के माध्यम से राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण गठित किया जा रहा है तथा सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है। इस वर्ष 1 हजार 640 करोड़ रुपये के अल्पकालीन फसली ऋण वितरण के लक्ष्य रखे गये थे जिसके विरुद्ध जनवरी 2005 तक 1 हजार 752 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किये गये। फसली ऋणों के महत्त्व को दृष्टिगत रखते हुए आगामी वर्ष में 2 हजार 240 करोड़ रुपये के फसली ऋणों के वितरण का लक्ष्य रखा गया है।

83. वर्तमान में समग्र सहकारी विकास परियोजना राज्य के चार जिलों अलवर, जोधपुर, झालावाड़ व टोंक में लागू है जिसके अंतर्गत सहकारी समितियों की आधारभूत सुविधाओं के विकास के साथ-साथ समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। आगामी वर्ष में इस परियोजना को दौसा, हनुमानगढ़ एवं बारां जिलों में भी लागू किया जायेगा।

पशुधन :

84. प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पशु संपदा का महत्त्वपूर्ण योगदान है। इस दृष्टि से पशु संपदा के संवर्द्धन हेतु वर्ष 2004-05 में 7 करोड़ 21 लाख रुपये का बजट प्रावधान रखा गया था। वर्ष 2005-06 में बजट प्रावधान को लगभग तीन गुना बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये किया जा रहा है।

85. दुधारू पशुओं की नस्ल सुधार हेतु उच्च गुणवत्ता का जर्म प्लाज्म उपलब्ध करवाने की दृष्टि से एक नया जर्म प्लाज्म केन्द्र जोधपुर में स्थापित किया जायेगा। साथ ही कोल्ड चेन की निरंतरता बनाये रखने की दृष्टि से समस्त संभागीय मुख्यालयों पर जर्म प्लाज्म बैंक स्थापित करना प्रस्तावित है। राज्य में उपलब्ध उत्कृष्ट व बहुमूल्य नस्ल के गौ-वंश की गुणवत्ता का प्रमाणीकरण कर गुणवान पशुओं की संख्या में वृद्धि करने की दृष्टि से जयपुर में प्रोजनी टेस्टिंग फार्म स्थापित करने की योजना है।

86. भेड़ पालकों के निष्क्रमण से संबंधित समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए इस वर्ष अविका कवच, अविकापाल जीवन रक्षक व अविरक्षक नाम की योजनायें प्रारंभ की गयी हैं। आगामी वर्ष में इन योजनाओं का विस्तार करके 1 लाख भेड़पालकों को लाभान्वित करना प्रस्तावित है। भेड़पालकों को पशुधन के रखरखाव व उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु धनराशि उपलब्ध कराने हेतु अविका क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गयी है जिसे आगामी वर्ष में भी जारी रखा जायेगा। आगामी वर्ष में, गौ-वंश की रक्षा तथा गौ-पालकों के कल्याण हेतु, इसी प्रकार की योजनायें लागू की जायेंगी।

87. विश्वविख्यात कारपेट किस्म की ऊन हेतु कॉमन फेसिलिटी केन्द्रों एवं स्वयं सहायता समूहों का गठन कर ऊन विपणन व मूल्य संवर्द्धन हेतु सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया

जायेगा ताकि भेड़ पालकों को ऊन का सही मूल्य प्राप्त हो सके और उनकी आर्थिक उन्नति हो। बीकानेर ऊन मंडी के तकनीकी उन्नयन तथा भेड़ों की नस्ल सुधार से संबंधित एक योजना केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की गई है। यदि यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं भी की जाती है तो राज्य सरकार अपने संसाधनों से ऊन मंडी का विकास करेगी।

गौ-वंश की रक्षा :

88. गौ-वंश की रक्षा में गौ-शालाओं की अहम भूमिका हो सकती है। राजस्थान गौसेवा आयोग द्वारा प्रत्येक जिले में एक गौशाला को आदर्श गौशाला का स्वरूप प्रदान कर गौ-वंश संरक्षण, संवर्द्धन तथा समग्र विकास के कार्यक्रम चलाये जायेंगे। इस योजना के अंतर्गत गांवों को गौ-वंश के आधार पर आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जायेगा। आगामी वर्ष में गौ सेवा आयोग को इस हेतु 2 करोड़ रुपये की सहायता दी जायेगी। राज्य सरकार के जैविक खेती संबंधी कार्यक्रमों में गौ सेवा आयोग को जोड़ा जायेगा। पशु चिकित्सा शिविर लगाने में गौ-शालाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।

89. गत बजट में मैंने घोषणा की थी कि सहकारिता क्षेत्र में दूध का संग्रहण चार वर्षों में 25 लाख किलोग्राम प्रतिदिन तक पहुंचाया जायेगा। मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार डेयरी फैडरेशन ने इस वर्ष में 20.28 लाख किलोग्राम दूध प्रतिदिन

संकलित करने का लक्ष्य अर्जित कर लिया है जोकि पिछले 27 वर्षों में सर्वाधिक है। हमें आशा है कि प्रतिदिन 25 लाख किलोग्राम दूध संकलन का लक्ष्य 4 वर्ष में हासिल कर लिया जायेगा। डेयरी फ़ैडरेशन द्वारा आगामी वर्ष में सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना लागू की जायेगी। बस्सी में 100 करोड़ रुपये की लागत की मैट्रो डेयरी परियोजना का कार्य आगामी वर्ष प्रारंभ हो जायेगा। इस परियोजना के तीन वर्षों में पूर्ण होने की संभावना है।

90. राज्य में डेयरी की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नाबार्ड की सहायता से राजस्थान सहकारी डेयरी फ़ैडरेशन द्वारा विशिष्ट योजनायें संचालित की जायेंगी जिसके अंतर्गत डेयरी इकाइयों की स्थापना, मिल्क टेस्टिंग मशीनों की खरीद, दूध के उत्पाद तैयार करने हेतु विभिन्न उपकरणों की खरीद तथा कोल्ड चेन की स्थापना इत्यादि के कार्य करवाये जायेंगे। इस योजना के अंतर्गत कुल लागत की 50 प्रतिशत राशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में तथा 40 प्रतिशत राशि कम ब्याज दर पर ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जायेगी।

निवेश व औद्योगिक विकास:

91. मैंने इस वर्ष दावोस में विश्व इकोनोमिक फोरम की वार्षिक बैठक में भाग लिया। वहां मुझे अंतरराष्ट्रीय स्तर के विचारकों से राजस्थान के सामाजिक एवं आर्थिक विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा

करने का अवसर मिला तथा अनेकों उपयोगी सुझाव प्राप्त हुए। इन सुझावों का परीक्षण कर हम राज्य में निवेश को बढ़ाने हेतु कार्य योजना बना रहे हैं।

92. राज्य में औद्योगिक निवेश हेतु वर्तमान में अनुकूल परिस्थितियां हैं। देश के उत्तर एवं पश्चिम के मुख्य बाजारों से भी हमारे प्रांत के औद्योगिक केन्द्रों की दूरी अधिक नहीं है। इस पृष्ठभूमि में हमारी सरकार पूंजी निवेश करवाने हेतु निरंतर प्रयासरत है। उद्योग क्षेत्र में आगामी वर्ष में एक लाख नये रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। आर्थिक नीति एवं सुधार परिषद द्वारा निजी निवेश को आकर्षित करने, जनसहभागिता के आधार पर उपयोगी स्थाई संपत्तियों का निर्माण करने तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने की दृष्टि से कई सुझाव दिये गये हैं। इस परिषद द्वारा अनुशंसित सहभागिता आधारित अभिनव योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आगामी वर्ष में 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकेगा।

93. आर्थिक विकास को बढ़ावा देने हेतु तथा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दृष्टि से सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप योजना के आधार पर प्रोत्साहित करना आवश्यक है। इस दृष्टि से आगामी वर्ष में नॉलेज कारीडोर तथा नॉलेज पार्क की स्थापना हेतु आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

94. जनवरी 2005 तक प्रदेश में लगभग 8 हजार 700 नये लघु एवं कुटीर उद्योग पंजीकृत किये गये हैं। उद्योग विभाग की विभिन्न परियोजनाओं के परिणामस्वरूप राज्य में लगभग 1 हजार 800 करोड़ रुपये के प्रस्ताव स्वीकृत किये गये हैं।

95. औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधायें विकसित करने पर बल दिया जा रहा है। इस वर्ष किशनगढ़ मारबल क्लस्टर में 37 करोड़ रुपये की लागत से आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। इसी प्रकार आगामी वर्ष में, राजसमंद मारबल क्लस्टर में आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु कार्य प्रारंभ किये जायेंगे।

96. खादी एवं लघु उद्योग के महत्त्व को देखते हुए खादी संस्थाओं को वित्तीय सहायता एवं विपणन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान वर्ष के प्रावधान 4 करोड़ 49 लाख रुपये को आगामी वर्ष में बढ़ाकर 9 करोड़ 98 लाख रुपये करना प्रस्तावित है।

97. हमारा यह मानना है कि दस्तकारी एवं लघुतम इकाइयों का विकास क्लस्टर डवलपमेंट एप्रोच अपनाकर किया जा सकता है। इस दृष्टि से, प्रदेश के 20 क्लस्टर का एक डायग्नोस्टिक सर्वे करवाया गया है जिसके परिणामों के आधार पर आगामी वर्षों की कार्य योजना तैयार की गई। प्रथम चरण में वर्ष 2005-06 में कोमन फेसिलिटी सेंटर एवं दस्तकारों के कन्सोरशियम बनाकर लघु उद्योगों के विकास हेतु प्रयास किये जायेंगे। इस क्रम में कैथून में कोटा

डोरिया साड़ियों का क्लस्टर, तलवाड़ा में पत्थर की मूर्तियों का क्लस्टर, बानसूर में चर्म रंगाई एवं चर्म आधारित वस्तुओं का क्लस्टर, छीपोका अकोला में रंगाई—छपाई का क्लस्टर तथा दरीबा में हस्तकर्घा क्लस्टर प्रारंभ किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त हस्तशिल्पियों द्वारा निर्मित उत्पादों के प्रदर्शन व विपणन हेतु लघु उद्योग संघों की सहभागिता से प्रदर्शनी स्थल का निर्माण किया जायेगा।

98. निर्यात व घरेलू बाजारों में बदलती मांग व उपभोक्ताओं की रुचि के अनुरूप नये उत्पाद व डिजाइनें विकसित करने हेतु भारतीय शिल्प संस्थान, उद्योग व व्यापार संगठनों तथा रुडा के माध्यम से विशेष प्रयास किये जायेंगे तथा इस हेतु एक क्राफ्ट डिजाइन व डवलपमेंट सेंटर भी स्थापित किया जायेगा जो कि कैडकैम जैसे आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित होगा।

99. प्रदेश में पत्थरों से निर्मित हस्तशिल्प व वास्तुशिल्प आधारित उत्पाद जैसे जाली, झरोखे, खंभे आदि के उत्पादन व विपणन को प्रोत्साहित करने के लिए एक कार्यक्रम प्रारंभ किया जायेगा। सिकंदरा में पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप पर आधारित स्टोन पार्क की स्थापना की जायेगी। आगामी वर्ष में कोटा व जोधपुर के एग्रो फूड पार्क का विस्तार तथा अलवर में एक नये एग्रो फूड पार्क का निर्माण किया जायेगा। बीकानेर में 2 करोड 91 लाख रुपये की लागत से सिरेमिक सेन्टर की स्थापना की जायेगी।

पर्यटन :

100. हमारा प्रदेश अपनी समृद्ध ऐतिहासिक व सांस्कृतिक धरोहर के लिये जाना जाता है। यहां के मेले व उत्सव तथा हमारे प्रदेशवासियों की मेहमाननवाजी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यही कारण है कि हमारे यहां अनेकों देशी व विदेशी सैलानी आते हैं। वर्ष 2004 में राज्य में आने वाले पर्यटकों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप पर्यटन के क्षेत्र में कार्यरत लोगों की आय में वृद्धि के साथ रोजगार के अतिरिक्त अवसर भी प्राप्त हुये हैं। हमें आशा है कि इस पृष्ठ भूमि में पर्यटन के क्षेत्र में अधिक निजी निवेश आकर्षित होगा।

101. इस वर्ष राजस्थान स्थापना दिवस के अवसर पर 10 दिवसीय समारोह के अन्तर्गत अनेकों कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। राजस्थान दिवस को समारोह पूर्वक मनाये जाने की परंपरा आगामी वर्षों में भी जारी रखी जायेगी एवं इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर के पर्यटन उत्सव की तरह प्रचारित किया जायेगा।

102. गुलाबी नगर जयपुर देश में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। इसे विश्वस्तरीय हैरीटेज शहर बनाये जाने का निर्णय लिया गया है। टाउनशिप डवलपमेंट प्लान के अंतर्गत फिल्मसिटी, हाथीगांव, फलाई ओवर तथा पार्किंग स्थल निर्माण किया जायेगा। आमेर किले की एक विशिष्ट पहचान इसकी भव्यता और शिल्प के कारण है। इस वर्ष इस किले को देखने 10 लाख से भी अधिक पर्यटक

आए। इस किले के विकास हेतु एक तीन वर्षीय योजना बनाई गई है जिसकी लागत 35 करोड़ रुपये है। आगामी वर्ष में इस किले में ध्वनि एवं प्रकाश कार्यक्रम प्रारंभ किया जायेगा। जलेब चौक के ऐतिहासिक व पर्यटन महत्त्व को देखते हुए इसे एक हस्तशिल्प विपणन परिसर के रूप में विकसित किया जायेगा। जवाहर कला केन्द्र के परिसर में राजस्थान की विभिन्न लोक कलाओं के परिचय एवं प्रदर्शन के लिए एक क्राफ्ट म्यूजियम विकसित किया जायेगा। अल्बर्ट हाल म्यूजियम को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है जिससे उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्वरूप दिया जा सके।

103. जनसंख्या के साथ-साथ यातायात में हुई बढ़ोतरी के कारण जयपुर में परिवहन हेतु वैकल्पिक साधनों के संबंध में सोचा जाना अब आवश्यक हो गया है। अतः स्काई बस अथवा इससे मिलती जुलती परिवहन व्यवस्था की टेक्नो इकोनोमिक वाईबिलिटी ज्ञात करने के लिए सर्वे करवाया जायेगा। जिस हेतु 50 लाख रुपये व्यय किये जायेंगे।

कला व संस्कृति :

104. हमारे प्रदेश में 224 संरक्षित स्मारक हैं। राजस्थान में वैभवशाली सांस्कृतिक परंपरा विद्यमान है तथा राज्य के संग्रहालयों में लगभग 3 लाख से अधिक पुरा सामग्री संग्रहीत है। इन्हें समुचित रूप से संरक्षित करने व पर्यटकों को सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से कार्य योजना बनाई जायेगी। मेवाड़ कॉम्प्लेक्स परियोजना के अंतर्गत

आगामी वर्ष गोगुंदा, चांवड़ तथा दिवेर में ऐतिहासिक स्मारकों से संबंधित विभिन्न विकास कार्यों पर 6 करोड़ 75 लाख रुपये व्यय किये जायेंगे।

105. यह अनुभव किया जाता है कि धार्मिक स्थलों पर तीर्थयात्रियों को पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। जनसहभागिता के आधार पर समुचित विकास करने एवं व्यवस्था स्थापित करने के लिए धार्मिक कस्बा विकास समितियों का गठन करने की योजना है। योजना के प्रथम चरण में आगामी वर्ष में धार्मिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण 21 कस्बों में इन समितियों का गठन किया जायेगा।

106. नाथद्वारा का श्रीनाथ जी का मंदिर लाखों भक्तों की श्रद्धा का केन्द्र है। भक्तों एवं पर्यटकों को समुचित आवास, पार्किंग व दर्शन की सुविधायें उपलब्ध कराने की कार्य योजना बनाली गई है। नाथद्वारा कस्बे का विस्तार एवं विकास आगामी वर्ष में किया जायेगा।

रोजगार :

107. माननीय सदस्यों को अवगत है कि वर्ष 2004-05 में काफी समय पश्चात सरकारी क्षेत्र में नियुक्तियों की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। इसी क्रम में स्कूल अध्यापकों के लगभग 38 हजार पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है इसके अतिरिक्त एएनएम के 1 हजार 119 पदों पर संविदा पर नियुक्ति दी जा रही है। माध्यमिक विद्यालयों के

प्रधानाध्यापक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु व्याख्याताओं के 710 पद भी नियमित नियुक्ति से भरे गये। आगामी वर्ष में 7 हजार 200 अध्यापक, 4 हजार कांस्टेबल, 456 महाविद्यालय व्याख्याता व 570 एएनएम को नियुक्ति दी जायेगी। इस वर्ष तथा आगामी वर्ष को मिलाकर 35 हजार 810 सहयोगिनियों का चयन भी किया जायेगा।

108. नवयुवकों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने में तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा का विशेष योगदान होता है। इसलिये हमने नये आई.टी.आई. व पोलिटेक्निक महाविद्यालय खोलने तथा वर्तमान आई.टी.आई. व पोलिटेक्निक महाविद्यालयों के सुदृढीकरण की ओर विशेष ध्यान दिया। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रोजगार की प्रबल संभावनाओं को देखते हुए नॉलेज कोरीडोर और नॉलेज पार्क स्थापित करने की योजना बनाई गई है। ग्रामीण विकास, कृषि तथा पशुपालन के क्षेत्रों में उत्पादकता व रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कई अभिनव योजनायें बनाई गई हैं। लघु उद्योगों व दस्तकारों का क्लस्टर प्रणाली द्वारा विकास तथा इनके उत्पादों के विपणन के अवसर बढ़ाने हेतु प्रदर्शनी केन्द्र तथा कोमन फेसिलिटी सेंटर का निर्माण किया जा रहा है।

लाइवलीहुड मिशन :

109. रोजगार के और अधिक अवसर कैसे प्राप्त हों इस पर विचार करने की दृष्टि से राज्य सरकार ने एक लाइवलीहुड मिशन गठित किया है। यह मिशन राज्य में उपलब्ध संसाधनों के बेहतर

उपयोग एवं ऐसे क्षेत्रों को जिनमें रोजगार के नये एवं स्थाई अवसर उपलब्ध हो सकते हैं, चिन्हित करते हुए उनके समन्वित विकास के संबंध में राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। मिशन द्वारा सुझाये गये कार्यक्रमों में सहभागिता आधारित अभिनव योजनायें प्रारंभ करने हेतु आगामी वर्ष में 15 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है जिसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकेगा।

सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार :

110. विकास योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने के लिए अच्छा शासन आवश्यक है जिसमें सरकारी संस्थाओं की कार्य कुशलताओं में वृद्धि करना तथा सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाना शामिल है। इस हेतु नियमों व प्रक्रियाओं का सरलीकरण, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व निर्धारण तथा न्याय व सेवाओं की सुलभ उपलब्धता पर जोर दिया जायेगा। आम आदमी व सरकार के बीच की दूरी को कम करना तथा आम आदमी की समस्याओं के प्रति प्रशासन की संवेदनशीलता को बढ़ाना हमारा संकल्प है।

111. सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से विभिन्न योजनाओं की क्रियान्वति में गुणवत्ता, कार्यकुशलता, पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने के प्रयास वृहद स्तर पर किये जा रहे हैं उन समस्त कर्मचारियों व अधिकारियों जिनको अपने दैनिक कार्य संपादन में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग की आवश्यकता होती है। आगामी चार वर्षों में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग हेतु प्रशिक्षित करने

की योजना है ताकि सरकार द्वारा इस क्षेत्र में किये जा रहे निवेश का पूर्ण उपयोग संभव हो सके ।

112. सरकारी सुविधाओं तथा विकास योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचाने में ई-गवर्नेंस अत्यंत प्रभावी माध्यम हो सकता है । ई-गवर्नेंस के माध्यम से सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर को कम किया जा सकता है । वर्तमान में क्रियान्वित की जा रही ई-मित्र परियोजना को समस्त जिलों में लागू किया जायेगा तथा ई-मित्र केन्द्रों पर अब तक उपलब्ध कराई जा रही 28 सेवाओं की संख्या बढ़ाकर 60 किया जाना प्रस्तावित है ।

113. भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का सुदृढीकरण किया जायेगा तथा विशेष दल गठित किये जायेंगे । ये दल भ्रष्टाचार की शिकायत प्राप्त होते ही शीघ्र कार्रवाई कर सकेंगे । जिला स्तरीय अभाव अभियोग समितियों का पुनर्गठन कर इन्हें और अधिक प्रभावी बनाया जायेगा । शिकायतों का निस्तारण तत्परता से करने की दृष्टि से सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र का समुचित उपयोग किया जायेगा । सरकार द्वारा विकास कार्यों पर व्यय की जाने वाली राशि का लाभ आम आदमी तक पहुंच रहा है या नहीं यह जानने के लिये परफोरमेंस ऑडिट करवाया जायेगा ।

114. जनता से सुलभ संवाद की स्थापना तथा कार्य में नई तकनीक के प्रयोग से गुणवत्ता में सुधार हेतु बिजनस प्रोसेस

रिइन्जीनीअरिंग आज के समय की महती आवश्यकता है। आगामी वर्ष में जनता से सीधे संवाद स्थापित करने वाले 15 विभागों की कार्यप्रणाली तथा नियमों का पुनर्विलोकन किया जायेगा।

115. राज्य सरकार के लिए एक ऐसे ई-प्रक्योरमेंट तंत्र का विकास एवं क्रियान्वयन किया जा रहा है जिसमें संपूर्ण क्रय-प्रक्रियायें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संभव हो सकेंगी। इसके द्वारा प्रक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता लाने के साथ-साथ स्टोर्स की आपूर्ति में लगने वाले समय एवं व्यय में भी कमी आयेगी। राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी की आधारभूत संरचना के विस्तार एवं विकास की दृष्टि से राज्य व्यापी नेटवर्क के द्वारा आगामी तीन वर्षों में राज्य मुख्यालय को जिला व तहसील स्तर के कार्यालयों से जोड़ा जायेगा।

116. गत बजट में जयपुर में इंटरनेट के माध्यम से एफ.आई.आर. दर्ज कराने की व्यवस्था की घोषणा की गई थी। आगामी वर्ष में राज्य के सभी संभागीय मुख्यालयों पर इंटरनेट के माध्यम से एफ.आई.आर. दर्ज करवाने की सुविधा प्रदान की जायेगी।

117. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सामान्य जन की प्रशासन से अपेक्षाएँ बहुत बढ़ गई हैं। इन अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु जिला प्रशासन का नवीनीकरण एवं सुदृढीकरण आवश्यक है। जिला प्रशासन को सुदृढ बनाने की दृष्टि से एक परियोजना तैयार कर केन्द्र सरकार को भिजवाइ जायेगी। इस योजना को शीघ्र प्रारंभ करने की आवश्यकता

को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से आगामी वर्ष में 10 करोड़ रुपये व्यय करना प्रस्तावित है।

118. माननीय उच्च न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालयों में विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु आगामी वर्ष में 17 करोड़ 50 लाख रुपये का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त न्यायिक अधिकारियों के आवासीय भवनों के निर्माण कार्यों पर 8 करोड़ रुपये व्यय करना प्रस्तावित है। अलवर में एक नया औद्योगिक न्यायाधिकरण व श्रम न्यायालय खोलने की योजना है।

119. पुलिस कर्मियों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आगामी वर्ष 160 आवास गृहों का निर्माण करवाया जायेगा जिस पर 6 करोड़ 56 लाख रुपये का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

120. वर्तमान में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र जारी करने हेतु पेट्रोल पंपों के स्वामी, अधिकृत मोटर वाहन डीलर्स एवं विभिन्न वर्कशाप्स को अधिकृत किया हुआ है। इस सुविधा के विस्तार हेतु तथा मैकेनिकल एवं आटोमोबाइल इंजिनियरिंग में डिप्लोमाधारी युवकों को वाहनों की प्रदूषण जांच करने एवं प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अधिकृत करने का प्रस्ताव है। इससे इन तकनीकी योग्यताधारी युवकों को रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध होंगे।

121. मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार परिवहन वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने हेतु वर्कशाप्स तथा सर्विस केन्द्रों को अधिकृत किया जायेगा जिससे वाहन स्वामियों को परिवहन कार्यालयों में वाहन की फिटनेस की जांच हेतु नहीं जाना पड़े। परिवहन विभाग द्वारा वे-इन ब्रिजेज युक्त कम्प्यूटराईज्ड टैक्स कलैक्शन केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।

122. राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के भूमि आवंटन संबंधी कानूनों में समय के साथ बदलाव की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये इनका यथासंभव सरलीकरण किया जाना भी आवश्यक है ताकि सामान्यजन इनका पूरा लाभ उठा सकें। इस दृष्टि से कानूनों के सरलीकरण का एक व्यापक कार्यक्रम प्रारंभ किया जायेगा। इस हेतु आवश्यकतानुसार विषय विशेषज्ञों की सेवायें ली जायेंगी।

123. आदिवासी क्षेत्रों में गैर-खातेदार आवंटियों को पूर्व वर्षों में भूमियां आवंटित की गई थीं परंतु अभी तक उन्हें खातेदारी अधिकार नहीं मिल सके हैं। आदिवासी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे आदिवासियों को कृषि एवं संबद्ध विकास हेतु सहायता दी जायेगी तथा भूमियों पर खातेदारी अधिकार दिये जायेंगे।

124. उपनिवेशन क्षेत्र के द्वितीय चरण में भूमि आवंटन संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु भूमि के आरक्षित मूल्य में प्रति वर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि करने के प्रावधान को समाप्त किया जायेगा तथा

प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर आरक्षित मूल्य का निर्धारण गुणावगुण के आधार पर किया जायेगा। साथ ही वर्ष 2005 में भूमि निस्तारण के लिए वर्ष 2002 की दरों को मानक दर माना जायेगा तथा विशेष आवंटन हेतु किशतों की संख्या जो वर्तमान में 8 है को बढ़ाकर 12 किया जायेगा।

125. वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण की शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। इन शिकायतों के निराकरण के लिए प्रत्येक जिले में एक अतिरिक्त जिला कलक्टर को संपत्ति अधिकारी की शक्तियां भी प्रदान की जायेंगी।

126. संविधान के 73वें संशोधन के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढीकरण हेतु पिछले वर्षों में प्रयास किये गये हैं परंतु विषय की जटिलताओं के कारण कई कठिनाइयों का सामना करना पडा है। पंचायती राज संस्थाओं को वास्तविक रूप से स्वयंशासी इकाइयों के रूप में स्थापित करने और इन संस्थाओं को संविधान के संशोधन के अनुरूप गतिविधियों के हस्तांतरण करने में आने वाली कठिनाइयों का अध्ययन कर सुझाव देने हेतु एक मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया गया है। पंचायती राज प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देकर उनकी क्षमतावर्द्धन हेतु एक योजना बनाई गई है। साथ ही पंचायती राज संस्थाओं के अभिलेख संधारण तथा सूचना के आदान-प्रदान को

व्यवस्थित करने की दृष्टि से इन संस्थाओं के कंप्यूटरीकरण का व्यापक कार्यक्रम प्रारंभ करना प्रस्तावित है।

वित्तीय प्रबंधन :

127. गत 15 महीनों में कुशल वित्तीय प्रबंधन हमारे शासन की एक प्रमुख उपलब्धि रहा है। योजना का आकार दुगुना करने के बावजूद हमने वार्षिक ऋण भार में वृद्धि को सीमित किया है। जहां वर्ष 1998-99 से वर्ष 2003-04 के दौरान ऋण भार में औसत वार्षिक वृद्धि 18.5 प्रतिशत थी वहीं वर्ष 2004-05 में इसे 12.8 प्रतिशत पर सीमित कर दिया गया। पूर्व के वर्षों में लिये गये ऋण का अधिकांश भाग ऋणों की अदायगी में खर्च होता था और बहुत कम भाग कैपिटल आउटले के लिये उपलब्ध होता था। हमने बजट में कैपिटल आउटले में वृद्धि की है जिससे कैपिटल आउटले व ऋणों की अदायगी के अनुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। जहां वर्ष 2001-02 में ऋणों की अदायगी कैपिटल आउटले की लगभग साढ़े चार गुना थी वहीं वर्ष 2004-05 में ऋणों की अदायगी कैपिटल आउटले की लगभग दुगुनी ही रह गई।

128. राजस्व वृद्धि के साथ-साथ हमने डेट-स्वैप के माध्यम से पूर्व के महंगे ऋणों को कम ब्याज दरों वाले ऋणों में परिवर्तित किया तथा अनुत्पादक व्यय में भी कमी की है। वर्ष 2002-03 में राजस्व घाटा राजस्व प्राप्तियों का 30 प्रतिशत था जिसे हमने 2003-04 में घटा कर 22 प्रतिशत किया। वर्ष 2004-05 के संशोधित अनुमानों में

राजस्व प्राप्तियों के अनुपात में राजस्व घाटा 22 प्रतिशत से कम होकर लगभग 15 प्रतिशत होना अनुमानित है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2003-04 में राजस्व घाटे में अपेक्षित सुधार के फलस्वरूप हमने फिस्कल रिफॉर्मस फेसिलिटी के अंतर्गत 59 करोड़ 77 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्राप्त की। मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि वर्ष 2004-05 के संशोधित अनुमानों के अनुसार हमने एक बार फिर राजस्व घाटे में अपेक्षित सुधार कर प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने की पात्रता हासिल करली है।

आधारभूत सुविधायें :

129. हमारा मानना है कि ऊर्जा, जल संसाधन, सड़क यातायात तथा नागरिक सुविधाओं से संबद्ध आर्थिक आधारभूत सुविधाओं का आवश्यकता के अनुसार विकास किये बिना आर्थिक उन्नति की कल्पना नहीं की जा सकती है। इन सुविधाओं के विकास में राज्य के निवेश के साथ-साथ निजी क्षेत्र की पहल भी बहुत आवश्यक है। इस दिशा में हमने निजी निवेश के महत्त्व को ध्यान में रखते हुये शहरी एवं ग्रामीण जनसहभागिता योजनायें प्रारंभ की हैं। इसी क्रम में जालौर जिले के सर्वांगीण विकास की परियोजना एक इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी द्वारा बनाई जा रही है, जिसके अन्तर्गत क्रिटिकल गैप्स की पहचान कर उन्हें पाटने की दृष्टि से निजी निवेश की संभावनाओं का पता लगाया जायेगा। अन्य कई स्वयंसेवी संगठन अपनी-अपनी विशेषताओं के अनुसार विकासीय कार्यों में सहयोग

कर रहे हैं। सिंचाई प्रबंधन में भी जनभागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

सड़कें:

130. सड़क निर्माण हेतु धनराशि जुटाने की दृष्टि से स्टेट रोड फण्ड का गठन किया जा चुका है। सड़क निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में राजस्थान अग्रणी रहा है।

131. सड़क निर्माण के क्षेत्र में सहभागिता के क्रम में रोड़ इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कंपनी आफ राजस्थान स्थापित की गयी है जिसके द्वारा चार राज्य उच्च मार्गों के विकास का कार्य बी.ओ.टी. पद्धति पर किया जाकर 1 हजार 19 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण किया जायेगा। इस परियोजना का कार्य जुलाई 2005 में प्रारंभ होकर सितंबर 2007 तक समाप्त हो जायेगा। राज्य के इतिहास में यह पहली बार होगा कि लगभग एक हजार किलोमीटर लंबाई की अंतरराष्ट्रीय स्तर की सड़कों का निर्माण इतने अल्प समय में किया जायेगा। इस योजना के अंतर्गत बनाई जा रही सड़कें जोधपुर, बाड़मेर, बारां, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, करौली, दौसा, अलवर, अजमेर, नागौर, चूरू तथा हनुमानगढ़ जिलों से होकर निकलेंगी। इस योजना से हनुमानगढ़ से रतनगढ़ तक की सड़क का भी सुदृढीकरण किया जा सकेगा। दस रेल्वे ब्रिज तथा 11 उपमार्गों का निर्माण कार्य भी आगामी वर्ष में प्रारंभ किया जायेगा।

132. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत दिसंबर 2000 से लेकर दिसंबर 2004 तक 9 हजार 204 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा कर 2 हजार 643 गांवों को सड़कों से जोड़ा गया है। हमारी सरकार ने एक साल की अवधि में 1 हजार 725 गांवों को सड़कों से जोड़ा है जबकि पिछली सरकार ने तीन वर्षों में मात्र 918 गांवों को ही सड़कों से जोड़ा था।

133. वर्ष 2004-05 के बजट में 7 हजार 46 गांवों को वर्ष 2007 तक बारहमासी सड़कों से जोड़ने की घोषणा की गई थी। इस क्रम में वर्ष 2004-05 में 3 हजार 432 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर 1 हजार 62 गांवों को सड़कों से जोड़ा जा रहा है। आगामी वर्ष में 3 हजार 500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर 1 हजार 100 गांवों को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य है जिस पर 500 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है।

134. इसके अतिरिक्त आगामी वर्ष में 1 हजार 500 किलोमीटर राज्य उच्च मार्गों व मुख्य जिला सड़कों तथा 3 हजार किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण एवं 1 हजार किलोमीटर डब्ल्यूबीएम सड़कों को डामर की सड़कों में क्रमोन्नत किया जाना प्रस्तावित है।

शहरी विकास :

135. माननीय सदस्यों को विदित है कि राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना के अंतर्गत विभिन्न शहरों में आधारभूत

विकास हेतु कार्य करवाये जा रहे हैं। आगामी वर्ष इस परियोजना के अंतर्गत 405 करोड़ रुपयों का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के द्वितीय चरण में 75 हजार से अधिक आबादी वाले धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण 39 शहरों को शामिल करते हुए राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना के द्वितीय चरण हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाये गये हैं। इस परियोजना में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण के कार्यों के साथ-साथ प्रथम चरण में शामिल किए गए शहरों के शेष कार्यों को सम्मिलित किया गया है।

136. गत बजट में की गई घोषणा की अनुपालना में राजस्थान इन्फ्रास्ट्रक्चर फाईनेंस एण्ड डवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन किया जा चुका है। इस कॉरपोरेशन का मुख्य उद्देश्य नगर निकायों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करना एवं शहरी विकास को गति प्रदान करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु आगामी वर्ष में राज्य सरकार इस कॉरपोरेशन में 5 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।

137. कच्ची बस्तियों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के बिना नगरीय विकास अधूरा रह जाता है। हमारा यह प्रयास होगा कि हम कच्ची बस्तियों में आधारभूत सुविधायें उपलब्ध करवाने को प्राथमिकता दें जिससे इन बस्तियों में रहने वाले नागरिकों का सामान्य जीवन स्तर बेहतर हो सके। इन बस्तियों में आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ाने हेतु आगामी वर्ष में 30 करोड़ रुपये व्यय किये

जायेंगे। राज्य के 9 शहरों में कच्ची बस्तियों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले निवासियों को भवन निर्माण हेतु चल रही योजना का विस्तार कर, इसे राज्य के सभी 183 नगरपालिका क्षेत्रों में लागू किया जाना प्रस्तावित है।

138. नागरिकों के सहयोग से शहरी क्षेत्रों में विकास कार्यों के उद्देश्य से शहरी जनसहभागिता योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु आगामी वर्ष में 20 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। विरासत संरक्षण एवं विकास की दृष्टि से राज्य के प्रमुख 28 शहरों में विभिन्न कार्य करवाने के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान आगामी वर्ष में किया जाना प्रस्तावित है।

139. शहरी क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता दी जायेगी। कोटा शहर में आरयूआईडीपी के अंतर्गत डाइवर्जन चैनल के निर्माण पर 10 करोड़ 40 लाख रुपये तथा जगमहल परियोजना पर 7 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। चूरु में जल निकास हेतु कार्ययोजना बनाई जायेगी जिस पर 2 करोड़ 50 लाख रुपये व्यय किये जायेंगे।

140. सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित विभिन्न कार्यों हेतु आगामी वर्ष 10 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। राज्य के 11 शहरों में बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की दृष्टि से संयंत्र स्थापित किये जा रहे हैं। राज्य के सरकारी एवं निजी चिकित्सालयों को इन

संयंत्रों से जोड़ा जायेगा ताकि संक्रमित कचरे का वैज्ञानिक ढंग से सुरक्षित निस्तारण किया जा सके ।

141. शहरों में बढ़ती जनसंख्या व बहुमंजिला भवन निर्माणों के साथ ही भवनों की अग्नि दुर्घटनाओं से सुरक्षा अति आवश्यक है । इस दृष्टि से राजस्थान फायर प्रिवेंशन सेफ्टी एण्ड सर्विसेज बिल लाया जा रहा है जिससे कि बहुमंजिला भवनों के मालिकों को समुचित अग्नि सुरक्षा के उपाय अपनाने हेतु पाबंद किया जा सके ।

ऊर्जा :

142. राज्य सरकार का संकल्प है कि आगामी वर्षों में अधिक से अधिक घरों एवं किसानों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध हों । इस दिशा में कनेक्शन देने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है । नई कृषि कनेक्शन नीति से उपभोक्तों को राहत पहुंची है तथा एक ही वर्ष में लगभग 40 हजार नये कृषि कनेक्शन दिये गये । इतनी अधिक संख्या में नये कृषि कनेक्शन देने के बावजूद सरकार ने रबी की फसल के दौरान विद्युत आपूर्ति, 7 से 8 घंटे प्रतिदिन उपलब्ध करवायी ।

143. ऊर्जा क्षेत्र में उपलब्ध क्षमता 5 हजार 278 मेगावाट है जिसका लगभग 50 प्रतिशत भाग स्टेट सैक्टर में है । आगामी 5 वर्षों में ऊर्जा की मांग व उपलब्धता में अंतर को पाटने की दृष्टि से हमें ऊर्जा उत्पादन के कार्य को प्राथमिकता के आधार पर लेना होगा । ऊर्जा क्षेत्र

हेतु वर्ष 2005-06 में 1 हजार 999 करोड़ 8 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है ।

144. राज्य सरकार विद्युत उत्पादन बढ़ाने हेतु निरंतर प्रयासरत है। 125 मेगावाट क्षमता की गिराल विद्युत परियोजना के प्रथम चरण का लगभग 50 प्रतिशत भौतिक कार्य पूरा हो चुका है जिस पर 215 करोड़ रुपयों का व्यय हुआ है। इस परियोजना से जून 2006 तक विद्युत उत्पादन प्रारंभ होना संभावित है। आगामी वित्तीय वर्ष में गिराल परियोजना द्वितीय स्टेज का कार्य भी प्रारंभ कर दिया जायेगा जिस पर लगभग 600 करोड़ रुपये व्यय होंगे। गिराल परियोजना की इन दोनों इकाइयों से 250 मेगावाट का उत्पादन राज्य को आने वाले समय में उपलब्ध हो सकेगा। इसके अतिरिक्त 250 मेगावाट की एक अन्य परियोजना हेतु 60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है। धौलपुर गैस आधारित 330 मेगावाट की विद्युत परियोजना का कार्य वर्ष 2004-05 में प्रारंभ कर दिया गया है। आगामी वर्ष में इस परियोजना में 140 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र की बढ़ी हुई मांग की आपूर्ति के लिए आवश्यकता के अनुरूप राज्य में और राज्य के बाहर सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में नई उत्पादन इकाइयों में भागीदारी के प्रयास किये जायेंगे।

145. आगामी वर्ष में 220 किलोवाट के 4 जीएसएस तथा 132 किलोवाट के 12 जीएसएस स्थापित करने प्रस्तावित हैं। इन जीएसएस को जोड़ने के लिए 220 किलोवाट एवं 132 किलोवाट की

क्रमशः 350—350 किलोमीटर लाइन डालना भी प्रस्तावित है। 400 किलोवाट धौलपुर — हीरापुरा लाइन तथा रतनगढ़ मेड़ता लाइन पर भी आगामी वर्ष में कार्य शुरू किया जायेगा। विद्युत प्रसारण योजनाओं हेतु आगामी वर्ष में 280 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

146. उप प्रसारण एवं वितरण प्रणाली के सुधार हेतु 33 किलोवाट के 180 सब स्टेशन आगामी वर्ष में बनाये जायेंगे। 600 चिन्हित ग्रामीण फीडरों के रिनोवेशन के कार्य को पूरा किया जायेगा तथा 250 नये फीडर चिन्हित किये जाकर विकसित किये जायेंगे।

147. उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटारा शीघ्र हो सके इस दृष्टि से प्रत्येक जिला मुख्यालय पर कॉल सेंटर तथा प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर कस्टमर केयर सेंटर खोलना प्रस्तावित है।

148. गैर—परंपरागत स्रोतों से वर्ष 2005—06 में 10 हजार घरेलू प्रकाश संयंत्र लगाये जाने प्रस्तावित हैं तथा ग्रामीण ऊर्जा सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत अविद्युतीकृत गांवों एवं ढाणियों में 20 प्लांट लगाना प्रस्तावित है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम हेतु आगामी वर्ष में 93 करोड़ 32 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

जल संसाधन :

149. हमारे राज्य में देश का कुल 1.16 प्रतिशत सतही जल उपलब्ध है जबकि प्रदेश का क्षेत्रफल 10.4 प्रतिशत है। जल के समुचित एवं समग्र उपयोग हेतु विशेषज्ञों के एक कार्यदल का गठन किया गया है। जिसमें सतही जल, भू-जल, पेयजल एवं कृषि के विशेषज्ञों के साथ-साथ प्रबुद्ध स्वयंसेवी संस्थाओं को भी शामिल किया गया है। कार्यदल की रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्य में जल के समग्र उपयोग, प्रबंधन एवं जल नीति से संबंधित प्रभावी निर्णय लिये जायेंगे।

150. राज्य में जल संसाधनों की वृद्धि हेतु आगामी वर्ष में सिंचाई परियोजनाओं पर 736 करोड़ 57 लाख रुपये, इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर 235 करोड़ 29 लाख रुपये एवं सिंचित क्षेत्र विकास कार्यों पर 71 करोड़ 56 लाख रुपयों का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। वर्ष 2005-06 में 1 लाख 15 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है।

151. इंदिरागांधी नहर परियोजना प्रथम एवं द्वितीय चरण, भाखड़ा, गंगनहर, सिद्धमुख परियोजनाओं एवं सिंचाई विभाग के अधीन अन्य परियोजनाओं के बांधो एवं नहरों के जीर्णोद्धार एवं सुदृढीकरण हेतु 30 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। चबल परियोजना की नहरों के जीर्णोद्धार एवं सुदृढीकरण हेतु आगामी वर्ष में

7 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इसी प्रकार माही परियोजना की नहरों के रख-रखाव हेतु 5 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

152. उल्लेखनीय है कि इन बांधों एवं नहरों के जीर्णोद्धार एवं सुदृढीकरण हेतु प्रथम बार इतनी राशि व्यय की जा रही है। इससे नहरों के आखिरी छोर तक पानी की पहुंच सुनिश्चित की जा सकेगी। इंदिरा गांधी नहर के प्रथम एवं द्वितीय चरण में सेम की समस्या के निवारण हेतु आगामी वर्ष में 5 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

153. वर्तमान में निर्माणाधीन 3 वृहद सिंचाई परियोजनाओं बीसलपुर, माही बजाज सागर एवं रतनपुरा वितरिका को आगामी वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा। गंग नहर आधुनिकीकरण कार्य को शीघ्र पूर्ण करने हेतु आगामी वर्ष में 40 करोड़ रुपयों का प्रावधान प्रस्तावित है। इस परियोजना से गंग प्रणाली में होने वाले जल रिसाव में काफी कमी होगी।

154. प्रदेश के दक्षिण-पश्चिमी भाग में पानी की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से चालू की गयी नर्बदा परियोजना हेतु आगामी वर्ष में 200 करोड़ रुपयों का प्रावधान प्रस्तावित है। आशा है कि जून 2006 तक राजस्थान को इस परियोजना से मिलने वाले पानी का आंशिक भाग प्राप्त होना प्रारंभ हो जायेगा।

155. विश्व बैंक पोषित "राजस्थान जल क्षेत्र पुनःसंरचना परियोजना" के अंतर्गत 91 नहर प्रणालियों के पुनरुद्धार एवं

आधुनिकीकरण के कार्य करवाये जा रहे हैं। इस योजना के माध्यम से “किसान – समूह” के सहयोग से किसानों में जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन एवं उपयोग की भावना विकसित की जा सकेगी। इस परियोजना पर आगामी वर्ष में 150 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है।

156. तकली मध्यम सिंचाई परियोजना को आगामी वर्ष से प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। गागरिन तथा ल्हासी मध्यम सिंचाई परियोजनाओं हेतु प्रस्ताव केन्द्रीय जल आयोग एवं वन मंत्रालय को भेज दिये गये हैं। चवली मध्यम सिंचाई परियोजना को आगामी वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा।

157. वर्ष 2004-05 के बजट में मैंने 35 लघु सिंचाई परियोजनायें पूर्ण करने की घोषणा की थी। मुझे यह बताने में खुशी है कि इस वर्ष हमने 45 लघु सिंचाई परियोजनायें पूर्ण करली हैं। आगामी वर्ष में 45 अन्य लघु सिंचाई परियोजनाओं के कार्य पूर्ण कर लिये जायेंगे।

158. अहमदी एवं हिंगलोट लघु सिंचाई परियोजनाओं का कार्य आगामी वर्ष में आरंभ किया जाना प्रस्तावित है। इन परियोजनाओं पर कुल 58 करोड़ रुपयों का व्यय होगा और इन्हें 3 वर्ष में पूरा कर लिया जायेगा।

159. अजमेर जिले में चार तथा पाली जिले में एक लघु सिंचाई परियोजनाओं पर बांध एवं नहर की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार के कार्य वर्ष 2005-06 में प्रारंभ किये जाने प्रस्तावित हैं। टोंक एवं सवाईमाधोपुर जिलों को पेयजल उपलब्ध कराने की दृष्टि से टोंक जिले में बनास नदी पर 1 हजार 300 मीटर लंबाई में कॉफर डैम का निर्माण आगामी वर्ष में प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। यह निर्माण कार्य आगामी दो वर्षों में पूर्ण होगा तथा इसकी अनुमानित लागत 16 करोड़ 58 लाख रुपये है। बांसवाड़ा जिले के कागदी नाला और कागदी पिकप वेयर के सौंदर्यकरण व पुनरूद्धार पर आगामी वर्ष में 2 करोड़ 80 लाख रुपयों का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

160. राज्य में भू-जल का गिरता स्तर एक चिंता का विषय है। गिरते भू-जल में सुधार के उद्देश्य से वर्ष 2004-05 के बजट में बड़े पैमाने पर जल संग्रहण कार्य प्रारंभ किये जाने की घोषणा की गई थी। 1 हजार 31 जल संग्रहण कार्यों हेतु 75 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी कर कार्य प्रारंभ किये जा चुके हैं जो जून 2005 तक पूर्ण कर लिये जायेंगे। आगामी वर्ष हेतु 1 हजार 200 जलसंग्रहण कार्य हाथ में लिये जाने का लक्ष्य रखा है जिस हेतु 70 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इन कार्यों के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग भी लिया जायेगा।

161. झीलों की नगरी उदयपुर में स्थानीय झीलों में पानी की आवक मात्रा निरंतर कम होने के कारण पेयजल व्यवस्था के

साथ—साथ पर्यटन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उदयपुर शहर एवं उसके आस—पास के ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित पेयजल उपलब्ध कराने तथा झीलों में पानी की उपलब्धता बनाये रखने के उद्देश्य से आगामी वर्ष से देवास द्वितीय परियोजना प्रारंभ की जायेगी। इससे लंबे समय से चली आ रही जनता की मांग की पूर्ति हो सकेगी।

162. परवन नदी पर वृहद सिंचाई परियोजना बनाने की योजना है। बांध के एलाइनमेंट का अनुमोदन किया जा चुका है। आगामी वर्ष में सर्वेक्षण कार्य पूरा कर परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग को स्वीकृति हेतु प्रेषित की जायेगी। इस परियोजना की अनुमानित लागत 650 करोड़ रुपये है तथा इससे लगभग 58 हजार हैक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

163. इस वर्ष राज्य के 9 हजार गांवों और ढाणियों को पेयजल से लाभान्वित करने का लक्ष्य पूर्ण किया जा चुका है। आगामी वर्ष में 10 हजार अतिरिक्त गांवों और ढाणियों को पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा। राज्य के 10 कस्बों में जल संवर्द्धन योजनाओं का निर्माण कार्य भी प्रारंभ किया जायेगा।

164. गत वर्ष फ्लोराइड की समस्या से ग्रस्त गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान एकीकृत फ्लोरोसिस निवारण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत अब तक 500 गांवों व ढाणियों को लाभान्वित किया जा चुका है। शेष बचे 2 हजार 143 गांवों

व ढाणियों को आगामी वर्ष में लाभान्वित किया जायेगा। राज्य सरकार फ्लोराइड की समस्या को समूल नष्ट करने के लिए कटिबद्ध है और चरणबद्ध रूप से फ्लोराइड निवारण कार्यक्रम को राज्य में लागू करने का विचार रखती है। फ्लोराइड नियंत्रण से संबंधित विभिन्न योजनाओं पर आगामी वर्ष में 133 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

165. जयपुर शहर के लिए बीसलपुर बांध आधारित पेयजल योजना के ट्रांसमिशन पार्ट तथा ट्रांसफर सिस्टम के लिए वित्त पोषण की व्यवस्था हो चुकी है। इन योजनाओं को दिसंबर 2007 तक पूरा कर दिया जायेगा। दूदू बीसलपुर परियोजना का निर्माण कार्य भी आगामी वर्ष में प्रारंभ किया जायेगा।

166. चंबल—धौलपुर—भरतपुर परियोजना का कार्य प्रगति पर है। इस योजना से भरतपुर शहर, भरतपुर एवं धौलपुर जिलों में पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा। इस परियोजना के तहत बिछाई जाने वाली पाइप लाइन से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 2010 तक 310 एमसीएफटी प्रतिवर्ष तथा उसके उपरांत 62.5 एमसीएफटी प्रतिवर्ष जल उपलब्ध करवाया जा सकेगा।

167. कोटा, चित्तोड़गढ़ व झालावाड़ जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों को राणा प्रताप सागर से पेयजल उपलब्ध करवाने की दृष्टि से 149 करोड़ रुपये की लागत की रामगंजमंडी, भवानीमंडी पचपहाड़ योजना स्वीकृत की गई है। इस योजना के अंतर्गत आगामी वर्ष में मुख्य पाइप लाइन डालने का कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

168. धौलपुर जिले के डांग क्षेत्र में पेयजल समस्या के समाधान हेतु पार्वती सागर बांध से 132 गांवों में पेयजल आपूर्ति करने के उद्देश्य से सरमथुरा पेयजल योजना का कार्य आगामी वर्ष में प्रारंभ किया जायेगा।

169. जवाई बांध से पाली तक पाइप लाइन बिछाने का कार्य पूर्व के वर्षों में स्वीकृत हो जाने के बावजूद प्रारंभ नहीं हो सका था। इस कार्य को आगामी वर्ष से प्रारंभ किया जायेगा जिससे नहरों द्वारा पाली तक पानी पहुंचाने में हो रही हानि में कमी होगी तथा बचाये गए पानी का उपयोग पाली एवं जालौर जिले की जल प्रदाय योजनाओं में किया जा सकेगा। इस योजना से पाली जिले के 9 कस्बे और 531 गांव तथा जालौर जिले के 1 कस्बे और 120 गांव लाभान्वित होंगे।

170. भू-जल में लवणता एवं फ्लोराइड के कारण नागौर जिले में पीने के पानी की गंभीर समस्या है। इस समस्या के स्थाई समाधान की दृष्टि से इंदिरा गांधी नहर से पीने का पानी नागौर में लाने के उद्देश्य से योजना बनाई गई है जिसे वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार चरणबद्ध तरीके से पूर्ण किया जायेगा। इस योजना के प्रथम चरण के प्रथम भाग में इंदिरा गांधी नहर की आरडी 750 से मूंडवा तक मुख्य पाइप लाइन डाली जायेगी जिससे नागौर जिले के 3 शहर व 100 गांवों को पेयजल उपलब्ध हो सकेगा।

कर प्रस्ताव

171. अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों के सम्मुख बजट के कर प्रस्तावों का उल्लेख करूंगी ।

172. मुझे सदन को यह सूचित करते हुये प्रसन्नता हो रही है कि जिन सिद्धान्तों के आधार पर हमने अपने पिछले कर प्रस्तावों की आधारशिला रखी थी उसके उत्साहवर्धक परिणाम सामने आये हैं । हमने पिछले वर्ष स्टाम्प ड्यूटी, विलासिता कर और मनोरंजन कर की दरों को घटाया था, और टर्न ओवर टैक्स, सरचार्ज एवं प्रोफेशन टैक्स को समाप्त किया । कर ढांचे में सुधार, सरलीकरण व सुसंगतिकरण के कारण राजस्व अर्जन में आशातीत सफलता प्राप्त हुई; वर्ष 2003–2004 की तुलना में इस वर्ष कर आय में लगभग 15 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है । राज्य की वित्तीय नीतियों में सामान्यतः स्थायित्व अच्छा होता है परन्तु उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के सन्दर्भ में समयानुकूल परिवर्तन भी आवश्यक है ।

173. राज्यों के वित्त मंत्रियों की सक्षम समिति ने 1 अप्रैल, 2005 से वेट लागू करने का निर्णय लिया था । हम सक्षम समिति को, तथा केन्द्र सरकार को, राजस्थान जैसे उपभोक्ता राज्यों में होने वाली परेशानियों के बारे में लगातार आगाह करते आए हैं । हमारी सोच है कि वेट कर प्रणाली में सी.एस.टी. का कोई स्थान नहीं है । हमारा मानना है कि प्रस्तावित वेट के मॉडल की वजह से, उपभोक्ता राज्यों

से व्यापार और विनिर्माण गतिविधियों का अन्य राज्यों में पलायन हो जायेगा, और राज्य के सभी वर्गों को क्षति का सामना करना पड़ेगा । अतः जब तक केन्द्र सरकार सी.एस.टी. को समाप्त किये जाने का स्पष्ट रोड मैप नहीं देती और सी.एस.टी. के पेटे सेट ऑफ एवं compensation की व्यवस्था नहीं करती, तब तक हम इसे सहन करने की स्थिति में नहीं हैं । मैं उम्मीद और अपील करती हूँ कि केन्द्र सरकार और एम्पावर्ड कमेटी हमारे प्रस्तावों पर गम्भीरता से मनन करके, देश और उपभोक्ता राज्यों के हित में निर्णय करें ।

सरलीकरण

174. मैं कर प्रशासन के सरलीकरण में विश्वास रखती हूँ । पिछले वर्ष प्रारम्भ की गई सरलीकरण की इस यात्रा को निरन्तर रखते हुए आगामी वर्ष के लिए मैं सरलीकरण हेतु निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत कर रही हूँ:—

- (i) समय—समय पर विभिन्न वस्तुओं को बिना किसी शर्त के कर मुक्त किया गया है । पुरानी अधिसूचनाओं का ज्ञान नहीं होने की वजह से कई बार व्यवहारियों और कर सलाहकारों को परेशानी का सामना करना पड़ता है । अतः करमुक्त वस्तुओं की पूर्व में जारी अधिसूचनाओं को इकजाई कर, इन्हें एक अधिसूचना में समाहित किया जा रहा है ।

- (ii) मृत व्यक्तियों, अथवा ऐसे व्यवहारी, जिनके पास किसी प्रकार की चल अथवा अचल सम्पत्ति नहीं हैं, के विरुद्ध बकाया मांग गत कई वर्षों से राज्य के खातों में चली आ रही है । अतः ऐसे प्रकरणों में जहां मांग राशि बीस हजार रूपये से कम है, एवं मांग 10 साल से अधिक पुरानी है, को उपर्युक्त परिस्थितियों में राईट-ऑफ किया जाना प्रस्तावित है । इससे लगभग पन्द्रह हजार पुराने खातों को राहत मिलेगी ।
- (iii) वर्तमान में, ऐसे विनिर्माता (मेन्युफेक्चरर्स) जिनका टर्न ओवर पचास हजार रूपये तक है, राजस्थान बिक्री कर अधिनियम के अधीन पंजीकरण से मुक्त है । छोटे उद्यमियों को राहत देने की दृष्टि से, इस सीमा को बढ़ाकर एक लाख रूपये किया जाना वित्त विधेयक में प्रस्तावित किया जा रहा है ।
- (iv) व्यवहारियों को कर निर्धारण अधिकारी से, अपने कर निर्धारण आदेश की प्रति लेनी पड़ती है । अगर कोई अतिरिक्त मांग भी सृजित नहीं होती है, फिर भी व्यवहारियों को अनावश्यक रूप से कर निर्धारण आदेशों की प्रति प्राप्त करने के लिए कर निर्धारण अधिकारी के कार्यालय में जाना पड़ता है । अब ऐसे व्यवहारियों जिनके विरुद्ध कोई भी मांग बकाया नहीं है, की सूची विभागीय वेब-साईट पर डाल दी

जायेगी। यह सूचना मात्र ही कर निर्धारण आदेश का स्थान ले लेगी, एवं ऐसे प्रकरणों में पृथक से कर निर्धारण आदेश जारी किये जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मैं समझती हूँ कि इससे हजारों की संख्या में व्यवहारियों को राहत मिलेगी।

- (v) वर्तमान में, व्यवहारी द्वारा विभिन्न प्रकार के रिटर्न डाक, अथवा व्यक्तिगत रूप से, बिक्री कर कार्यालय में जमा कराये जाते हैं। व्यवहारियों द्वारा रिटर्नस् को, Electronic Media (इन्टरनेट) के माध्यम से भरने की व्यवस्था को enable करने हेतु, विक्रय कर अधिनियम में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है। ऐसी व्यवस्था लागू होने पर, इन व्यवहारियों को कर निर्धारण अधिकारियों के कार्यालय में जाकर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
- (vi) उपायुक्त (अपील्स) को, उनके सम्मुख रखे गये बिक्री कर के प्रकरणों में, 9 माह की अधिकतम अवधि तक मांग की वसूली पर स्थगन देने की शक्तियां निहित हैं। लेकिन अपरिहार्य कारणों से, स्थगन की अवधि को बढ़ाया जाना न्याय हित में वांछित हो सकता है। अतः विक्रय कर अधिनियम की धारा 42 में संशोधन कर आयुक्त, बिक्री कर विभाग को, विशेष परिस्थितियों में, तीन माह की अतिरिक्त अवधि तक स्थगन अवधि बढ़ाने की शक्तियां प्रदत्त किया जाना प्रस्तावित है।

- (vii) राजस्थान बिक्री कर अधिनियम की धारा 72 के अन्तर्गत किये गये करापवंचन के अपराधों का धारा 77(8), 78(5) और 78(6) में कम्पाउन्डिंग का प्रावधान है । लेकिन धारा 78(8) और 78(10-ए) के अन्तर्गत आने वाले करापवंचन के अपराधों की कम्पाउन्डिंग, किये जाने का प्रावधान नहीं है । इस विसंगति को दूर करने हेतु, वित्त विधेयक के माध्यम से आवश्यक संशोधन प्रस्तावित है ।
- (viii) राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर विभिन्न बिक्री कर योजनायें घोषित की हैं । इन योजनाओं की शर्तों की पालना नहीं होने की दशा में आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग को योजनाओं का लाभ वापस लिये जाने का अधिकार दिया हुआ है । ऐसे आदेशों से असंतुष्टि होने पर, इनके विरुद्ध अपील का प्रावधान नहीं होने के कारण, उद्यमियों को उच्च न्यायालय में रिट में जाना पड़ता है । इस विसंगति को दूर करने हेतु, आयुक्त के आदेशों के विरुद्ध टैक्स बोर्ड में अपील का प्रावधान किये जाने के लिए आवश्यक संशोधन वित्त विधेयक में प्रस्तावित किये जा रहे हैं ।
- (ix) राजस्थान वस्तुओं के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 की धारा 34 (ए) के अन्तर्गत विलंब से कर जमा कराने पर, ब्याज भरे जाने का प्रावधान रखा गया है । साथ ही धारा 17 के अन्तर्गत कर देरी से जमा कराने पर, पेनल्टी का प्रावधान है

। अतः देरी से कर जमा कराने पर ब्याज और पेनल्टी दोनों ही लग रहे हैं। इस विसंगति को दूर किया जा रहा है।

काश्तकारों के लिए छूट:

175. किसान हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार हैं। इनको राहत देने के उद्देश्य से, मैं निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत कर रही हूँ :-

- (i) सिंचाई के पानी के कुशल प्रबन्धन की विपुल संभावनायें हैं। पानी एक बहुमूल्य निधि है। इसका उपयोग उचित ढंग से हो, इसके लिये फव्वारा सिंचाई प्रणाली एवं बूंद-बूंद सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। अतः इनके काम में आने वाले एचडीपीई (HDPE) पाइप एवं पीवीसी (PVC) पाइप और प्लास्टिक पाइप पर लगने वाली कर दर को 5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।
- (ii) सीमेंट पाइप की दरें 14 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।
- (iii) वी-बैल्ट एवं पट्टा पर कर की दर को 5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित करती हूँ।
- (iv) टंकी, कोठी, बाक्स एवं सन्दूक की कर दरों को 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत करना प्रस्तावित है।

- (v) दूध को दुग्ध-उत्पादों में परिवर्तन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से दूध से बने उत्पादों पर लगी सी.एस.टी. की 4 प्रतिशत दर को घटाकर 2 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित करती हूँ। इससे दूध में मूल्यवर्धन को बढ़ावा मिलेगा, जो कि राज्य की सकल आय को बढ़ायेगा, और दुग्ध उत्पादकों को भी लाभ मिलेगा।
- (vi) इसी प्रकार, गेहूँ के उप-उत्पादों में मूल्यवर्धन को प्रोत्साहित करने हेतु, मैं मैदा पर लगे 2 प्रतिशत प्रवेश कर को समाप्त करने का प्रस्ताव करती हूँ।
- (vii) कृषि एवं पशुपालन दोनों ही क्षेत्रों में बेहतर उत्पादन और विपणन की व्यवस्था के लिए नवीनतम टेक्नोलोजी के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है। अतः मैं प्रस्तावित करती हूँ कि टिश्यु कल्चर (Tissue culture) एवं अन्य बायोटेक्नोलोजी (Bio-technology) केन्द्र, एवं पशुओं की नस्लों के सुधार व कृत्रिम गर्भाधान हेतु काम आने वाले विभिन्न उपकरणों पर प्रभारित 2 प्रतिशत से अधिक कर को माफ कर दिया जाये। इससे अनुसंधान के कार्य को गति मिलेगी।

महिलाओं एवं बच्चों के लिए छूट :

176. महिलाओं एवं बच्चों के लिए मेरे दिल में विशेष स्थान है । पिछले वर्ष मैंने किराना, सिलाई मशीन, शर्बत, घरेलू गैस, कैंरोसीन इत्यादि पर कर राहत दी थी । इस वर्ष, मदद का हाथ और बढाते हुए, मैं महिलाओं एवं बच्चों के लिए निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूँ :

- (i) आम उपभोग की सामग्री होने की वजह से खाद्य तेल की वर्तमान दर को 5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है ।
- (ii) माचिस, बर्तन, धागा एवं नील पर कर दर को 5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है ।
- (iii) रेडीमेड गारमेंट एवं होजरी की कर दर को भी 5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है ।
- (iv) कम्प्युटर, कम्प्युटर प्रिन्टर, कम्प्युटर सॉफ्टवेयर एवं कम्प्युटर पार्ट्स, पर लग रही 5 प्रतिशत कर दर को घटाकर 4 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है ।
- (v) साईकिल एवं बाल पाईन्ट पैन पर कर की दर को 5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत करना प्रस्तावित करती हूँ ।
- (vi) महिला उद्यमियों के लिए घोषित प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत, वर्तमान में, 20 लाख रूपये प्रति वर्ष कारोबार की

सीमा तक निर्मित उत्पादों पर चार वर्षों के लिए पूर्ण छूट दी हुई है । इसमें वृद्धि करते हुये मैं अब 30 लाख रूपये प्रति वर्ष कारोबार की सीमा तक छूट दिया जाना प्रस्तावित करती हूँ । साथ ही, यह सुविधा उद्यमी महिलाओं की इकाईयों को अब चार वर्ष की बजाय, पाँच वर्षों के लिए उपलब्ध होगी ।

पर्यटन :

177. पर्यटन में, राजस्थान न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में अपना विशिष्ट स्थान रखता है । पर्यटन क्षेत्र में निवेश से कई रोजगार के अवसरों का सृजन होता है । अतः पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने हेतु निम्न प्रस्ताव है:—

- (i) राजस्थान के गौरवशाली इतिहास की गाथा कई प्राचीन स्मारकों के माध्यम से प्रकट होती है । दुविधा यह है कि ऐसे कई प्राचीन स्मारकों के ईर्द—गिर्द पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध नहीं है । हमारा प्रयास है कि ऐसे स्थानों पर ट्यूरिज्म “हब” का विकास हो, जिसमें वहां के मौलिक वातावरण को बिना नुकसान पहुँचाये, पर्यटकों को सभी प्रकार की सुविधायें उपलब्ध हो जाये । इसके लिए बनाये जाने वाले आधारभूत ढांचे में रेस्टोरेन्ट, पार्किंग स्थान, टॉयलेट, संचार सुविधा आदि शामिल होंगे । ऐसे ट्यूरिज्म हब को विकसित करने के लिए क्रय किये गये

भूखण्ड अथवा पूर्व निर्मित भवन पर देय स्टाम्प शुल्क और कन्वर्जन चार्जेज पर 50 प्रतिशत की छूट दिया जाना प्रस्तावित है । इस सन्दर्भ में, पर्यटन विभाग पृथक से नीति जारी करेगा ।

- (ii) भारत के पर्यटन के नक्शे पर राजस्थान के हैरिटेज होटल्स ने अपना विशिष्ट स्थान बनाया है । देश विदेश के सैलानियों को इन हैरिटेज होटल्स के माध्यम से राजस्थान का वास्तविक ऐतिहासिक गौरव देखने को मिलता है । इस क्षेत्र में विकास की प्रचुर संभावनायें हैं । हैरिटेज होटल्स को बढ़ावा देने के लिए मैं 100 वर्ष से अधिक पुरानी हैरिटेज सम्पत्तियों को होटल के रूप में विकसित करने के लिए लीज अथवा क्रय किये जाने पर 75 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क से मुक्त किया जाना प्रस्तावित करती हूँ । इसके अतिरिक्त शुरू करने की तिथि से तीन वर्ष तक गृह कर पर भी 50 प्रतिशत छूट देय होगी ।
- (iii) राजस्थान निवेश नीति, 2003 के अन्तर्गत टूरिज्म सैक्टर में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये राज्य सरकार ने नवीन होटल्स को विलासिता कर से सात वर्ष की छूट दे रखी है लेकिन पुराने हैरिटेज होटल्स को यह सुविधा प्राप्त नहीं है । अतः हैरिटेज होटल्स में विलासिता कर में समान छूट दिया जाना प्रस्तावित है ।

(iv) वर्तमान में एवियेशन टर्बाईन फ्यूल की कर दरें अधिक होने से, विभिन्न निजी एवं सरकारी क्षेत्र की विमानन कम्पनियां राजस्थान की तरफ आकर्षित नहीं हो पा रही हैं । अतः पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से, मैं एवियेशन टर्बाईन फ्यूल की कर दर को 28 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करना प्रस्तावित करती हूँ । मुझे उम्मीद है कि इस प्रस्ताव से विमानन कम्पनियां राजस्थान की तरफ आकर्षित होगी । अगर ऐसा होता है, तो ऐसी विमानन कम्पनियों को दो और राहत प्रस्तावित है । प्रथम, अगर किसी विमानन कम्पनी द्वारा राजस्थान से, पिछले वर्ष की तुलना में, 15 प्रतिशत अतिरिक्त ईंधन उठाया जाता है, तो उसे बिक्री कर की अधिसूचित दर में 2 प्रतिशत अधिक छूट देय होगी । द्वितीय, अगर कोई विमानन कम्पनी राजस्थान में अपना "हब" स्थापित करती है, तो ऐसी कम्पनी को अधिसूचित कर दर पर 30 प्रतिशत छूट देय होगी । राजस्थान के किसी भी हवाई अड्डे से अन्तराष्ट्रीय उड़ानों पर भी अधिसूचित कर दर पर 30 प्रतिशत छूट देय होगी ।

उद्योग :

178. राज्य में नये निवेश को प्रोत्साहन देने एवं रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिये, हमारी सरकार कटीबद्ध है । अपने इन

प्रस्तावों से, मैं स्थानीय उद्योग को प्रोत्साहित करने, तथा उद्यमियों की व्यावहारिक समस्याओं के निराकरण करने के लिये, निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत कर रही हूँ:—

(i) लघु उद्योगों को राहत:

- (1) पिछले वर्ष से केप्टिव पावर प्लांट पर विद्युत कर देय है। यह कदम उठाना इसलिए जरूरी हो गया था, क्योंकि केन्द्र सरकार की कम्पनियों के द्वारा कोयले तथा डीजल के मूल्य की वृद्धि की गयी थी। इस वृद्धि के कारण से होने वाले अतिरिक्त व्यय भार की आंशिक पूर्ति करने के लिए, केप्टिव पावर प्लांट्स पर विद्युत कर लगाना अपरिहार्य हो गया था। परन्तु राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, और चल रहे उद्योगों को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए, मैं अब स्माल स्केल की पंजीकृत इकाइयों को केप्टिव पावर प्लांट पर देय विद्युत कर से पूर्णतया मुक्त किया जाना प्रस्तावित करती हूँ।
- (2) राजस्थान निवेश नीति 2003 के अन्तर्गत वे ही इकाइयां लाभ उठा सकती हैं जिनके द्वारा भूमि अथवा भवन में 10 लाख रुपये तक का निवेश किया गया हो। इस कारण कई छोटे उद्योग इसका लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं। अतः राजस्थान निवेश नीति, 2003 के अन्तर्गत, अधिकाधिक इकाइयों को लाभ देने के प्रयोजन से, पंजीकृत लघु उद्योग

के लिये ऋण या भूमि अथवा भवन में 10 लाख रूपये की निवेश की न्यूनतम सीमा को घटाकर 5 लाख रूपये किया जाना प्रस्तावित है ।

- (3) नई ईकाइयों को कच्चे माल पर चुकाये हुए कर की पूर्ण छूट का लाभ दिया हुआ है । यह लाभ पुरानी ईकाइयों को उपलब्ध नहीं है । इस कारण पुरानी ईकाइयां को प्रतिस्पर्धा करने में कठिनाइयां आ रही है । अतः, विद्यमान पंजीकृत लघु उद्योग ईकाइयों को, कच्चे माल पर प्रभारित कर को 3 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है । यह सुविधा उन्हीं ईकाइयों को देय होगी जो कर योग्य माल बनाती है ।
- (ii) प्रतिस्पर्धा के इस जमाने में उद्योगों को संरक्षण दिया जाना आवश्यक है, अतः मैं पैकिंग मटेरियल की कर दर को घटाकर 5 प्रतिशत से 4 प्रतिशत करने का प्रस्ताव कर रही हूँ ।
- (iii) विक्रय कर प्रोत्साहन योजनाओं के अन्तर्गत, कर लाभ प्राप्त करने वाली इकाइयों द्वारा यह मांग की गई है कि इकाई को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने की स्थिति में भी प्रोत्साहन योजनाओं के अन्तर्गत लाभ निरन्तर प्राप्त होते रहना चाहिये । मैं प्रस्तावित करती हूँ कि, यदि वाजिब कारणों से, राजस्थान में अवस्थित कर-लाभ प्राप्त करने वाली सम्पूर्ण इकाई को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित किया

जाता है, तो ऐसी इकाइयों को योजनान्तर्गत शेष लाभ देय होगा । इसकी शर्तें अलग से वित्त विभाग द्वारा जारी की जा रही हैं ।

- (iv) पर्यावरण प्रदूषण की समस्याएँ हमारे जीवन में बढ़ती जा रही हैं । पत्थर व्यवसाय में, स्टोन स्लरी और स्लज के उचित निस्तारण की भी महति आवश्यकता है । अतः स्टोन स्लरी, स्लज एवं फ्लाई ऐश को कर से मुक्त करना प्रस्तावित है । साथ ही, ऐसे उत्पाद जिनमें कम से कम 50 प्रतिशत स्लज, स्टोन स्लरी, फ्लाई ऐश का उपयोग किया गया हो, को भी कर से मुक्त किया जाना प्रस्तावित है ।
- (v) पर्यावरण संरक्षण हेतु, प्लास्टिक, विशेषरूप से प्लास्टिक के कैंरी बैग, के उपयोग को हतोत्साहित किया जाना आवश्यक है । अतः मैं कागज अथवा जूट से बने निर्धारित आकार के कैंरी बैग्स को भी कर से मुक्त किया जाना प्रस्तावित करती हूँ ।
- (vi) पर्यावरण में हो रहे वाहन जनित प्रदूषण को दृष्टिगत रखते हुए निर्माताओं द्वारा निर्मित ऐसे परिवहन यान, जिनमें ईंधन के रूप में एलपीजी/सीएनजी/सौर उर्जा का उपयोग किया जाता है, के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिये ऐसे वाहनों पर देय विशेष पथकर में 50 प्रतिशत की छूट दी जानी प्रस्तावित है ।
- (vii) कुम्हार आवा कवाजा ईंटों का निर्माण करते हैं । यह एक कुटीर उद्योग है, और एक परिवार, एक वर्ष में चालीस से पचास हजार

ईटें बनाकर अपने परिवार का पोषण करते हैं । मैं इस उद्योग को संरक्षण देने की दृष्टि से, कुम्हारों द्वारा निर्मित ईटों को कर से मुक्त करना प्रस्तावित करती हूँ ।

(viii) सरकार द्वारा विभिन्न उद्योगों एवं व्यापार को कुछ कर रियायतें दिनांक 31.3.2005 तक दी गई थी । इनमें से मुख्यतः खाण्डसारी प्रशमन योजना, मिनी सीमेंट प्लांट प्रशमन योजना अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने की समय सीमा, स्टेनलेस स्टील, शीट, पट्टा, फ्लेट्स, इन्गट्स, बर्तन की कर छूट कुछ वस्तुओं पर आंशिक कर छूट, **PIJF** केबल एवं एल्युमिनियम फॉयल पर आंशिक कर छूट आदि शामिल है । इन सभी रियायतों को दिनांक 31.3.2006 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है ।

(ix) आइरन/स्टील और री-रोलिंग मिल्स के लिये उनके विद्युत उपभोग एवं वर्तमान राजस्व के आधार पर एक विशेष योजना प्रस्तावित की जा रही है । मुझे उम्मीद है कि इस योजना से इन्सपेक्टर राज पर अंकुश लगेगा, और उद्यमी अपना ध्यान अपने व्यवसाय की तरफ केन्द्रित कर सकेंगे । योजना वित्त विभाग द्वारा शीघ्र जारी की जायेगी ।

(x) तिलहन एवं खाद्य तेल उद्योग राजस्थान में विशेष स्थान रखता है । इस सैक्टर की समग्र समस्याओं का अध्ययन करवाया जायेगा, एवं ऐसे प्रभावी कदम उठाये जायेंगे जिससे राजस्थान में खाद्य तेल उद्योग को प्रोत्साहन मिल सके ।

- (xi) राज्य में कोटा स्टोन एवं मार्बल उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है। इनमें कई लोगों को रोजगार मिला हुआ है। कोटा स्टोन व मार्बल के उत्पादों को, इनके स्थान पर काम में आने वाले अन्य उत्पादों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। इसलिए मैं मार्बल और कोटा स्टोन पर वर्तमान कर की दर को 14 प्रतिशत से घटाकर 9 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूँ।
- (xii) हर परिवार की इच्छा रहती है कि उसका खुद का एक घरोंदा हो। इनके निर्माण से रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होती है। मेरा मानना है कि, उचित नीतियों के माध्यम से, मकानों के निर्माण की गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। अतः भवन निर्माण की गतिविधियों को बढ़ावा देने की दृष्टि से, इस क्षेत्र में उपयोग में आने वाले ईट, पत्थर, बजरी, चूना, एल्युमिनियम सेक्शनस, सेनेटरी का सामान, बिजली की फिटिंग, वेदर प्रुफिंग कम्पाउन्ड्स तथा वाल केयर पुटी और भवन निर्माण हेतु उपयोग में लिये जाने वाले अन्य किस्म के पत्थरों की कर दरों को कम करना और उन्हें समान दर पर लाया जाना वांछित है। एक वस्तु को छोड़कर इन सभी की कर दरें 14 प्रतिशत हैं। मैं, इन सभी वस्तुओं की कर दरों को घटाकर 9 प्रतिशत की समान दर पर लाने का प्रस्ताव करती हूँ।
- (xiii) राज्य के उद्योगों के संरक्षण एवं करापवंचन को रोकने हेतु कुछ वस्तुओं पर प्रवेश कर लगाया जाना प्रस्तावित है। यहां

उल्लेखनीय है कि इनमें अधिकतर वस्तुओं पर, राजस्थान बिक्री कर चुका देने पर, प्रवेश कर का दायित्व नहीं आयेगा। लेकिन एयरकन्डीशनर, फ्रिज, ऐरीयेटेड ड्रिंक्स, वाहन एवं मिनरल वाटर पर अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने हेतु प्रवेश कर लगाया जाना प्रस्तावित है।

(xiv) **Denatured spirit** के निर्यात पर आबकारी नियमों के तहत देय परमिट फीस की वर्तमान दर इतनी अधिक है कि व्यावहारिक रूप से इसका निर्यात संभव नहीं है। अतः विकृत प्रासव के निर्यात पर, परमिट फीस की दर 10 रूपये प्रति बल्क लीटर से घटाकर 5 रूपये प्रति बल्क लीटर किया जाना प्रस्तावित है।

(xv) राजस्थानी भाषा में बने सी.डी., वी.सी.डी. एवं डी.वी.डी. पर इस समय कर दर 12 प्रतिशत है। अपनी भाषा को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। अतः, मैं प्रस्तावित करती हूँ कि यह दर घटाकर 4 प्रतिशत कर दी जाये।

179. सरलीकरण के ही परिपेक्ष्य में, मैं समझती हूँ कि राजस्थान बिक्री कर प्रणाली में वर्तमान में स्थापित कर दर के 15 स्लेब कुछ अधिक है। यह सर्वविदित है कि एक अच्छी कर प्रणाली में कम से कम स्लैब्स होने चाहिये। इससे कर प्रणाली सरल एवं पारदर्शी रहती है, और विभिन्न वर्गों की वस्तुओं पर करारोपण से संबंधित विवाद कम होते हैं। अतः मैं राजस्थान बिक्री कर के 15

स्लैब्स को घटाकर 11 किया जाना प्रस्तावित करती हूँ। 7, 16, 19 एवं 46 की दरें अब अन्य शेष रही स्लैब में मर्ज की जानी प्रस्तावित हैं। इसका केवल एक मात्र अपवाद (exception) सीमेन्ट है, क्योंकि इस उद्योग की राजस्थान में महत्ता को ध्यान में रखते हुए एक विशेष पैकेज हम लाना चाहते हैं।

180. नई कर दरों की अधिसूचना के विषय में विस्तारपूर्वक चर्चा कर सदन का समय नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन इतना अवश्य कहूँगी कि इस पुनर्निर्धारण के कारण, आम उपभोग की वस्तुओं को यथा संभव कम कर की दरों में समाहित किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस पुनर्निर्धारण से आम आदमी को राहत मिलेगी, और व्यवहारियों को अपने व्यापार में आसानी रहेगी।

रूग्ण इकाईयों का पुनर्जीवन

181. गत बजट में रूग्ण घोषित इकाईयों को पुनर्जीवित किये जाने के पैकेज की घोषणा की गई थी। इस योजना का बड़ी संख्या में रूग्ण इकाईयों ने लाभ लेने के लिए आवेदन किया है। इस योजना में वे ही इकाईयां आवेदन कर सकती थी, जो कि 1 अप्रैल 2004 से पूर्व रूग्ण घोषित होने योग्य थी। इस समय सीमा को दिनांक 1 अप्रैल 2004 से बढ़ाकर 1 अप्रैल 2005 किया जाना प्रस्तावित है। ऐसी इकाईया अब 1 अप्रैल 2006 तक पुनर्जीवन की प्रक्रिया प्रारम्भ कर सकेगी। मुझे आशा है कि शेष रही रूग्ण इकाईयां इसका भरपूर लाभ उठायेंगी।

अधिकतम खुदरा मूल्य :

182. गत वर्ष, उपभोक्ता संगठनों की मांग पर 12 वस्तुओं पर अधिकतम खुदरा मूल्य पद्धति के आधार पर कर संग्रहण की व्यवस्था की गई थी। इस निर्णय से कर व्यवस्था में सुधार हुआ है। अतः इस वर्ष अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) के आधार पर 11 अतिरिक्त मदों को जोड़ा जाना प्रस्तावित है। इसमें मुख्यतः मोबाईल फोन, ब्रान्डेड विद्युत फिटिंग एवं विद्युत संबंधी उपकरण, ब्रान्डेड कॉस्मेटिक्स, विदेशी शराब, जर्दा रहित पान मसाला, ब्रान्डेड बिस्किट आदि हैं।

पंजीयन एवं मुद्रांक :

183. राज्य में पंजीयन एवं मुद्रांक व्यवस्था को सरल, त्वरित और पारदर्शी बनाने हेतु मेरे निम्न प्रस्ताव है :—

- (i) गत वर्ष बजट सत्र में रक्त संबंधियों से भिन्न व्यक्ति के पक्ष में अचल सम्पत्ति के विक्रय का अधिकार देने वाली पावर ऑफ अटार्नी पर, सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर 2 प्रतिशत स्टेम्प शुल्क लगाया गया था। उक्त पावर ऑफ अटार्नी के तहत बाद में विक्रय पत्र निष्पादित होने पर 8 प्रतिशत स्टेम्प शुल्क भी देय होता है। ऐसे प्रकरणों में स्टेम्प शुल्क का भार कम किये जाने हेतु पावर ऑफ अटार्नी पर पूर्व में अदा किये गये 2 प्रतिशत

स्टाम्प शुल्क को सम्पत्ति के भविष्य में किये जाने वाले विक्रय पर देय 8 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क के विरुद्ध समायोजन योग्य माना जाना प्रस्तावित है, बशर्ते कि यह विक्रय पावर ऑफ अटार्नी निष्पादित किये जाने के 3 वर्ष के भीतर किया गया हो । माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि इस तरह का प्रावधान अचल सम्पत्ति के विक्रय इकरारनामों के संबंध में भी विद्यमान है । यह संशोधन राजस्थान वित्त विधेयक, 2005 में शामिल किया गया है ।

- (ii) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 394 के तहत उच्च न्यायालय के आदेश से कम्पनी का अमलगमेशन होने पर निष्पादित कन्वेयेंस डीड (Conveyance Deed) पर सम्पत्ति की मार्केट वैल्यू पर 10 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क देय है । मैं इस 10 प्रतिशत की दर को घटाकर 4 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूं ।
- (iii) राज्य मे राजस्व मंडल में लंबित स्टाम्प प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु मुख्य नियंत्रक राजस्व अधिकारी की शक्तियां, राजस्व मंडल के स्थान पर राजस्थान कर बोर्ड को देने का प्रस्ताव है । इससे स्टाम्प शुल्क से संबंधित रिवीजन की शीघ्र सुनवाई संभव हो सकेगी, जिससे जनता को शीघ्र न्याय मिलेगा और राज्य सरकार को राजस्व भी शीघ्र प्राप्त होगा ।
- (iv) राज्य में गौशालाओं के माध्यम से पशु संरक्षण को बढ़ावा देना आवश्यक है । यदि कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में गौशालाओं की

स्थापना के लिये अपनी भूमि को दान देता है, तो उस पर देय स्टाम्प शुल्क को माफ किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु पशुपालन विभाग द्वारा एक योजना तैयार की जायेगी।

(v) वृद्धजन कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा के प्रति हमारी सरकार कृत संकल्प है। अतः स्थापित होने वाले नये वृद्धजन कल्याण गृहों पर स्टैम्प शुल्क एवं गृह कर में 50 प्रतिशत की छूट प्रस्तावित करती हूँ। इस संबंध में विस्तृत योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी की जायेगी।

(vi) वर्तमान में पंजीयन के लिए निर्मित भवनों के बाजार मूल्य निर्धारण हेतु 300 रूपये प्रति वर्ग फुट की दर निर्धारित है। इस दर को संशोधित किया जाना आवश्यक है। अतः पट्टीपोष निर्मित सम्पत्तियों के मूल्य निर्धारण हेतु दर 200 रूपये प्रति वर्ग फुट एवं आर.सी.सी. निर्मित भवनों हेतु 400 रूपये प्रति वर्ग फुट किया जाना प्रस्तावित है।

विद्युत शुल्क :

184. ऐसे उद्योगों को जिनमें केप्टीव पॉवर प्लान्ट्स का उपयोग पॉवर जनरेशन के लिये किया जा रहा है उन पर प्रभारित विद्युत कर की दरों में संशोधन प्रस्तावित है। 125 के.वी.ए. तक के केप्टीव जनरेशन प्लान्ट्स पर विद्युत कर देय नहीं होगा। 125 के.वी.ए. से अधिक क्षमता के केप्टीव जनरेशन प्लान्ट्स द्वारा उत्पादित बिजली पर

विद्युत शुल्क को, 500 लाख यूनिट्स प्रति वर्ष तक उत्पादन पर, 20 पैसे प्रति यूनिट को घटाकर 15 पैसे प्रति यूनिट, और 500 लाख यूनिट्स प्रति वर्ष से ज्यादा उत्पादित बिजली पर, विद्युत शुल्क को, 15 पैसे से घटाकर 10 पैसे प्रति यूनिट किया जाना प्रस्तावित है। इससे राज्य के उद्योगों को लगभग 22 करोड़ रूपये की राहत मिलेगी।

भूमि एवं भवन कर

185. भूमि एवं भवन कर की समाप्ति के बाद गत बजट में सरकार द्वारा पाँच विभिन्न प्रकार की योजनायें कर राहत हेतु जारी की गई थी। इन योजनाओं के अन्तर्गत विभाग द्वारा 35000 से अधिक प्रकरणों में जनता को राहत प्रदान की गई। इस वर्ष मैं ऐसे समस्त आवासीय प्रकरणों, जिनका कर निर्धारण किया जा चुका है अथवा नहीं किया गया है, को बकाया भूमि एवं भवन कर से माफ करना प्रस्तावित करती हूँ।

परिवहन :

186. वर्तमान में निजी वाहनों पर एकबारीय कर आरोपित किया जाता है। अब, व्यवसायिक वाहनों को भी यह विकल्प दिया जाना प्रस्तावित है कि ऐसे वाहन स्वामी चाहें तो वह एकमुश्त कर जमा करवा सकते हैं। ऐसी व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। परन्तु चूंकि कर राशि काफी अधिक होगी वाहन स्वामी एकमुश्त कर की राशि एक

साथ, अथवा एक वर्ष की अवधि में, किश्त के रूप में भी जमा करवा सकेगा । इस संबंध में राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 में संशोधन का प्रस्ताव राजस्थान वित्त विधेयक, 2005 में शामिल किया गया है ।

187. मोटर वाहनों के प्रयोग में नहीं आने की अवधि (Non Use) में पंजीयन प्रमाण पत्र समर्पित करने पर कर में छूट की प्रक्रिया को सरलीकृत किया जाना प्रस्तावित है । इसका प्रावधान वित्त विधेयक में किया जा रहा है ।

188. युक्तियुक्त प्रकरणों में मोटर वाहनों पर आरोपित मोटर वाहन कर एवं विशेष पथ कर पर, देय शास्ति एवं ब्याज अथवा दोनों को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से माफ करने के लिये एक समिति का गठन किया जा रहा है । इस समिति के गठन से परिवहन विभाग में जहां वाहन स्वामियों के प्रकरणों का निस्तारण विभाग में ही हो जायेगा, वही विभिन्न न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों की संख्या में भी कमी सम्भव हो सकेगी । इसका प्रावधान वित्त विधेयक में किया जा रहा है ।

189. इस वर्ष का बजट पेश करते वक्त मैंने इस बात का ध्यान रखा है कि कर दरों का बोझ घटाया जाये, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल किया जाये, ताकि बेहतर कर अनुपालना हो सके । इस बजट से राज्य में आर्थिक वृद्धि दर बढ़ेगी, रोजगार के ज्यादा अवसरों का सृजन होगा एवं समाज के सभी वर्गों को लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा

विश्वास है। मेरे कर प्रस्तावों से राज्य की राजस्व आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, और हम राजस्थान की जनता के सपने साकार करने में सहायक सिद्ध होंगे।

वर्ष 2004–2005 के संशोधित अनुमान :

190. वर्ष 2004–05 के बजट अनुमानों में कुल घाटा 334 करोड़ 39 लाख रुपये अनुमानित किया गया था। बजट अनुमानों की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष के संशोधित अनुमानों में केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सा राशि में लगभग 198 करोड़ रुपये की कमी हुई है। परन्तु बजट अनुमानों की तुलना में, संशोधित अनुमानों में, राज्य के अपने कर राजस्व में लगभग 107 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी होने की संभावना है। साथ ही, राजस्व व्यय में 540 करोड़ रुपयों की वृद्धि संभावित है।

191. अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष बजट को प्रस्तुत करते समय मैंने कहा था कि बेहतर वित्तीय प्रबंधन से हम सकल घाटे को कम करने का प्रयास करेंगे। चालू वर्ष का सकल घाटा, जो कि 334 करोड़ 39 लाख रुपये अनुमानित किया गया था, कम होकर 6 करोड़ 89 लाख रुपये रहना संभावित है। वर्ष 2004–2005 के संशोधित अनुमानों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:—

1. राजस्व प्राप्तियां	17 हजार	480 करोड़	55 लाख	रुपये
2. राजस्व व्यय	20 हजार	128 करोड़	34 लाख	रुपये
3. राजस्व खाते में घाटा	2 हजार	647 करोड़	79 लाख	रुपये
4. पूंजीगत प्राप्तियां (लोक लेखे की शुद्ध प्राप्तियों सहित)	13 हजार	951 करोड़	88 लाख	रुपये
5. पूंजीगत व्यय	11 हजार	310 करोड़	98 लाख	रुपये
6. पूंजीगत खाते में अवशेष	2 हजार	640 करोड़	90 लाख	रुपये
7. कुल बजट घाटा		6 करोड़	89 लाख	रुपयें

192. बारहवें वित्त आयोग द्वारा 31 मार्च, 2005 को बकाया केन्द्रीय ऋणों को 7.5 प्रतिशत ब्याज दर पर समेकित करने, एवं उनको चुकाने की अवधि पुनःनिर्धारित करने की अनुशंसा की है। इस राहत का लाभ उठाने हेतु राज्यों को वर्ष 2008-09 तक राजस्व घाटे को शून्य करना तथा वर्ष 2004-05 के राजकोषीय घाटे में वृद्धि को रोकना आवश्यक होगा। इसी क्रम में राजवित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्ध विधेयक शीघ्र ही सदन में प्रस्तुत किया जायेगा। बारहवें वित्त आयोग द्वारा यह भी अनुशंसा की गई है कि आयोजना सहायता राशि के रूप में केन्द्र सरकार केवल अनुदान जारी करे, तथा राज्यों को स्वयं ऋण उगाहने की अनुमति दी जाये।

वर्ष 2005-2006 के बजट अनुमान :

193. वर्ष 2005-2006 के बजट अनुमानों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:—

1. राजस्व प्राप्तियां	20 हजार	538 करोड़	33 लाख	रुपये
2. राजस्व व्यय	22 हजार	61 करोड़	33 लाख	रुपये
3. राजस्व खाते में घाटा	1 हजार	523 करोड़		रुपये
4. पूंजीगत प्राप्तियां (लोक लेखे की शुद्ध प्राप्तियों सहित)	12 हजार	52 करोड़	9 लाख	रुपये
5. पूंजीगत व्यय	9 हजार	551 करोड़	81 लाख	रुपये
6. पूंजीगत खाते में अवशेष	2 हजार	500 करोड़	28 लाख	रुपये
7. कुल बजट आधिक्य		977 करोड़	28 लाख	रुपये

194. मैं वर्ष 2005-2006 का वार्षिक वित्तीय विवरण सभा पटल पर रख रही हूँ। अन्य बजट पत्रों के साथ अनुदान की मांगे भी प्रस्तुत

की जा रही है। चूंकि सदन के पास वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व, बजट अनुमानों पर विस्तृत चर्चा कर मांगे पारित करने का पर्याप्त समय उपलब्ध नहीं है, अतः मैं वर्ष 2005–2006 के पहले चार महीनों की अवधि के लिए यथा 31 जुलाई, 2005 तक के लिए व्यय हेतु लेखानुदान की मांगें प्रस्तुत कर रही हूँ। इस लेखानुदान में मांग संख्या 27 – पेयजल, मांग संख्या 34 – प्राकृतिक आपदाओं से राहत हेतु पूरे वर्ष के लिए व्यय राशि की मांग की गई है, क्योंकि इन मदों में होने वाले सामयिक व्यय वित्तीय वर्ष के प्रथम चार महीने में अधिक होने की सम्भावना है और इनको स्थगित नहीं किया जा सकता है।

195. मुझे विश्वास है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत यह बजट राज्य के सभी वर्गों, विशेष कर समाज के पिछड़े वर्ग, महिलाओं, अशक्त और किसानों के विकास और बेहतर जीवन यापन का माध्यम बनेगा तथा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देगा। मैं इन बजट प्रस्तावों को मय लेखानुदान प्रस्ताव के स्वीकृत करने की सिफारिश के साथ, माननीय सदन के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करती हूँ। इस बजट की सफलतापूर्वक क्रियान्विति के लिये मैं आप सब का पूरा-पूरा सहयोग आमंत्रित करती हूँ।